रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 04 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 13, 1944 शक संवत्) [संख्या 9

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	123–136	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	241–248	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	123–134	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	123–152	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 910/दो-4-2022-26/2(5)/2011—संयुक्त निबन्धक, Admin A-1 मा0 उच्च नयायालय, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के निम्नवत् अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र0सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	सहायक निबंधक (एडमिन-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्री ब्रह्मपाल सिंह, सिविल जज (सी0डि0), रामपुर।	14408/IV-4409/Admin. (A-1) दिनांक 15.11.2022	महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।	एल0 एल0 एम0	2013
2	सुश्री बसुन्धरा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।	14964/IV-4878/Admin. (A-1) दिनांक 23.11.2022	इलाहाबाद विश्वविद्यालय।	एल0 एल0 एम0	2019
3	श्रीमती नज़मा गोमाला, रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन प्राधिकरण, मेरठ।	14985/IV-5211/Admin. (A-1) दिनांक 24.11.2022	शोभित विश्वविद्यालय।	एल0 एल0 एम0	2019

आज्ञा से,

सुनील कुमार,

विशेष सचिव।

16 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 1001/दो-4-2022—महानिबन्धक, मा0 उच्च नयायालय, इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-265/S&A/2022, दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 यथासंशोधित के नियम-18, 20 एवं 21 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रोन्नत न्यायिक अधिकारियों तथा सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 यथा संशोधित के नियम-22(1) की व्यवस्थानुसर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करती हैं :—

Sl. No.	Name of the officer/direct recruits	
1	2	3
	S/Sri/Smt./Km./Ms.	
1.	RAGHUVIR SINGH RATHORE	PROMOTEE
2.	MANJULA BHALOTIA	DIRECT RECRUIT
3.	ANJU RAJPOOT	PROMOTEE
4.	RAKESH	PROMOTEE
5.	MEERA GOTHALWAL	PROMOTEE
6.	RAJMANGAL SINGH YADAV	PROMOTEE
7.	NEHA GARG	DIRECT RECRUIT
8.	PRITI SINGH-II	PROMOTEE
9.	NAND KUMAR	PROMOTEE
10.	KARUNA SINGH	PROMOTEE
11.	NISHANT SINGLA	DIRECT RECRUIT
12.	SURENDRA PRATAP YADAV	PROMOTEE
13.	SEEMA SINGH	PROMOTEE
14.	CHANDRA GUPT YADAV	DIRECT RECRUIT
15.	RAKESH SINGH	PROMOTEE
16.	CHIR KUMARITVA	PROMOTEE
17.	RITU NAGAR	PROMOTEE
18.	PIYUSH SIDDHARTHA	PROMOTEE
19.	SANDEEP KUMAR SHARMA	DIRECT RECRUIT
20.	SANDEEP CHAUDHARY	PROMOTEE
21.	NAVNEET KUMAR BHARTI	PROMOTEE
22.	JYOTSNA SIWACH	DIRECT RECRUIT
23.	RAJNEESH MOHAN VERMA	PROMOTEE
24.	YASH PAL SINGH LODHI	PROMOTEE
25.	DILIP KUMAR SACHAN	PROMOTEE
26.	SHAMIM AHMAD ANSARI	PROMOTEE
27.	ATIF SHAMIM	DIRECT RECRUIT

1	2	3
28.	ATUL CHAUDHARY	PROMOTEE
29.	VIRAT KUMAR SRIVASTAVA	PROMOTEE
30.	PRADEEP KUMAR SINGH-I	PROMOTEE
31.	KUMAR MITAKSHAR	DIRECT RECRUIT
32.	DHIRENDRA SINGH	PROMOTEE
33.	HARISH CHANDRA	PROMOTEE
34.	NEERAJ SHRIVASTAV	DIRECT RECRUIT
35.	ALAKA YADAV	PROMOTEE
36.	SHIKHA RANI JAISWAL	PROMOTEE
37.	DEVENDRA NATH GOSWAMI	PROMOTEE
38.	SURENDRA PRASAD	PROMOTEE
39.	ALAKH KUMAR	DIRECT RECRUIT
40.	INDRA JEET SINGH-II	PROMOTEE
41.	MERAJ AHMED	PROMOTEE
42.	PRIYANKA SINGH	DIRECT RECRUIT
43.	SHIVA NAND	PROMOTEE
44.	BIRENDR SINGH	PROMOTEE
45.	RAVI KUMAR GUPTA	PROMOTEE
46.	SWATI	PROMOTEE
47.		DIRECT RECRUIT
48.	ASHOK KUMAR YADAV-III	PROMOTEE
49.	FARRUKH INAM SIDDIQUI	PROMOTEE
50.	ASIFA RANA	PROMOTEE
51.	B. NARAYANAN	DIRECT RECRUIT
52.	RAGHVENDRA MANI	PROMOTEE
53.	NEELU MAINWAL	PROMOTEE
54.	MANOJ KUMAR TIWARI	DIRECT RECRUIT
55.	RAVI PRAKASH SAHU	PROMOTEE
56.	HARENDRA NATH	PROMOTEE

1	2	3
57.	CHINTA RAM	PROMOTEE
58.	VIRAT SHIROMANI	PROMOTEE
59.	AVIJIT BHUSHAN	DIRECT RECRUIT
60.	RAVI KANT YADAV	PROMOTEE
61.	VINAY PRAKASH SINGH	PROMOTEE
62.	DINESH GAUR	DIRECT RECRUIT
63.	JYOTI	PROMOTEE
64.	HEMANT KUMAR KUSHWAHA	PROMOTEE
65.	SMT. SUSHIL KUMARI	PROMOTEE
66.	SANJAY KUMAR-V	PROMOTEE
67.	PALLAVI PRAKASH	DIRECT RECRUIT
68.	SUMIT PREMI	PROMOTEE
69.	ANJU KAMBOJ	PROMOTEE
70.	MAHENDRA KUMAR SINGH	PROMOTEE
71.	SANGEETA	DIRECT RECRUIT
72.	BHARTENDRA SINGH	PROMOTEE
73.	SHUSHIL KUMAR VERMA	PROMOTEE
74.	MANOJ KUMAR	DIRECT RECRUIT
75.	KAMALA PATI-II	PROMOTEE
76.	SATYENDRA SINGH	PROMOTEE
77.	VIJAY KUMAR KATIYAR	PROMOTEE
78.	SUDESH KUMAR	PROMOTEE
79.	JAYENDRA KUMAR	DIRECT RECRUIT
80.	LOVELY JAISWAL	PROMOTEE
81.	VISHNU DEO SINGH	PROMOTEE
82.	SANDEEP TEWARI	DIRECT RECRUIT
83.	VIKAS	PROMOTEE
84.	HARI RAM	PROMOTEE
85.	ALKA CHAUDHARY	PROMOTEE

1	2	3
86.	POONAM SINGH-II	PROMOTEE
87.	SHAILENDRA MANI TRIPATHI	DIRECT RECRUIT
88.	NISHANT MAAN	PROMOTEE
89.	SHAILENDRA YADAY	PROMOTEE
90.	RICHA UPADHYAY	PROMOTEE
91.	LOKESH KUMAR MISHRA	DIRECT RECRUIT
92.	PREM PRAKASH JAISWAL	PROMOTEE
93.	KAMAL DEEP	PROMOTEE
94.	SHAHZAD ALI	DIRECT RECRUIT
95.	RAMESH KUSHWAHA	PROMOTEE
96.	MOHAMMAD FIROZ	PROMOTEE
97.	VIJAY KUMAR SINGH	PROMOTEE
98.	ABHA PAL	PROMOTEE
99.	NARENDRA NATH PANDEY	DIRECT RECRUIT
100.	POONAM KARANWAL	PROMOTEE
101.	VIKASH SINGH	PROMOTEE
102.	BISHNU KUMAR MISHRA	DIRECT RECRUIT
103.	VIRESH CHANDRA	PROMOTEE
104.	VIJAY KUMAR GUPTA-II	PROMOTEE
105.	YASHPAL	PROMOTEE
106.	VIJAY KUMAR VISHWAKARMA	PROMOTEE
107.	CHETANA CHAUHAN	DIRECT RECRUIT
108.	SHYAM BABU	PROMOTEE
109.	TARKESHWARI SINGH	PROMOTEE
110.	SHRADHA TRIPATHI	PROMOTEE
111.	DEV DUTT	DIRECT RECRUIT
112.	VIMAL VERMA	PROMOTEE
113.	VIMAL TRIPATHI	PROMOTEE
114.	SHREY SHUKLA	DIRECT RECRUIT

1	2	3
115.	ANAND SHUKLA	PROMOTEE
116.	SHIV KUMARI	PROMOTEE
117.	DIBYANAND	PROMOTEE
118.	BHUPENDRA PRATAP	PROMOTEE
119.	MOHAMMAD ARIF	DIRECT RECRUIT
120.	SUNIL KUMAR-II	PROMOTEE
121.	ABHAY PRATAP SINGH-II	PROMOTEE
122.	KALPANA CHAUHAN	DIRECT RECRUIT
123.	KULDEEP SINGH-I	PROMOTEE
124.	HIMANSHU KUMAR SINGH	PROMOTEE
125.	KULDEEP SINGH-II	PROMOTEE
126.	ANIL KUMAR-XI	PROMOTEE
127.	MAHENDRA KUMAR RAWAT	PROMOTEE
128.	MANOJ KUMAR JATAV	PROMOTEE
129.	HARIKESH KUMAR	PROMOTEE
130.	RACHNA	PROMOTEE
131.	SANJAY KUMAR-VI	PROMOTEE
132.	SUNIL KUMAR-III	PROMOTEE
133.	MANOJ KUMAR-II	PROMOTEE
134.	ANAND PRIYA GAUTAM	PROMOTEE
135.	RAVI KUMAR DIWAKAR	PROMOTEE
136.	SATYA PAL SINGH PREMI	PROMOTEE
137.	ANIL KUMAR-XII	PROMOTEE
138.	APARNA DEV	PROMOTEE
139.	SATYENDRA SINGH VERMA	PROMOTEE
140.	PRASHANT KUMAR SINGH	PROMOTEE
141.	MANOJ KUMAR SHASAN	PROMOTEE
142.	SWATANTRA PRAKASH	PROMOTEE
143.	SATYA PRAKASH ARYA	PROMOTEE

1	2	3
144.	KULDEEP SINGH-III	PROMOTEE
145.	PARVIND KUMAR	PROMOTEE
146.	VIJAY KUMAR-III	PROMOTEE
147.	SUSHIL KUMAR-V	PROMOTEE
148.	PURNIMA PRANJAL	PROMOTEE
149.	ASHOK KUMAR-XII	PROMOTEE
150.	SHEELVANT	PROMOTEE
151.	SHARAD KUMAR CHAUDHARY	PROMOTEE
152.	YASHWANT KUMAR SAROJ	PROMOTEE
153.	SHRI PAL SINGH	PROMOTEE
154.	DR. SURESH KUMAR	PROMOTEE
155.	DINESH KUMAR GAUTAM	PROMOTEE
156.	ANUPAM SHAURY	PROMOTEE
157.	MEENAKSHI SONKAR	PROMOTEE
158.	MAHENDRA KUMAR-II	PROMOTEE
159.	BHOOLA RAM	PROMOTEE
160.	RAHUL SINGH-II	PROMOTEE
161.	VINAY KUMAR-II	PROMOTEE
162.	PRABODH KUMAR VERMA	PROMOTEE
163.	VIJAY KUMAR-IV	PROMOTEE
164.	KAMAL SINGH	PROMOTEE
165.	PRASHANT KUMAR-II	PROMOTEE
166.	RESERVED	PROMOTEE
167.	MRADANSHU KUMAR	PROMOTEE
168.	ARVIND VERMA	PROMOTEE
169.	RAJEEV SARAN	PROMOTEE
170.	DINESH KUMAR-II	PROMOTEE
171.	JAGANNATH	PROMOTEE
172.	SUDHA	PROMOTEE
173.	HARISH KUMAR-II	PROMOTEE
174.	SARVOTTAMA NAGESH SHARMA	PROMOTEE
175.	BHARTENDU PRAKASH GUPTA	PROMOTEE

2–उपर्युक्त सूची के क्रमांक-47 पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी श्री मुरारी सिंह की नियुक्ति प्रस्तावित है। उनके वर्तमान कार्यरत विभाग अभियोजन निदेशालय, एन0सी0टी0 दिल्ली से विभागीय चरित्र सत्यापन की आख्या अप्राप्त है। आख्या प्राप्त होने पर इनके नियुक्ति आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेगे।

3–उपर्युक्त प्रोन्नति/नियुक्ति मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालयों में योजित सम्बन्धित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी। ऐसे समस्त न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति सतर्कता जांच के निष्कर्ष के अधीन होगी, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है।

4–सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं चरित्र के संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण किये जाने से पूर्व की अवधि का कोई प्रतिकूल तथ्य यदि अभ्यर्थी के स्वयं के संज्ञान में नहीं है तो इस आशय के शपथ-पत्र के साथ महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के अनुसार वे यथानिर्दिष्ट स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। प्रश्नगत् अवधि में उनके विरुद्ध यदि कोई प्रतिकूल तथ्य उनके संज्ञान में है तो इसकी सूचना वे महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं नियुक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे।

5–सीधी भर्ती के रूप में अनुशंसित उम्मीद्वारों को पात्रता/नियुक्ति मा0 न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-1698/2020 धीरज मोर बनाम मा0 उच्च न्यायालय, दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2022 के अधीन होंगी।

21 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 989/दो-4-2022–सचिव, उ0प्र0, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-112/01/ई-3/2018-19, दिनांक 26 अगस्त, 2022 द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2018 के आधार पर प्रतीक्षा सूची में चयनित/संस्तुति अभ्यर्थी श्री अंकुर कुमार पुत्र श्री सूरज पाल, अनुक्रमांक-050349 को वेतनमान रुपये 27,700-770-35,090-920-40,450-1080-44,770 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2–प्रश्नगत् नियुक्ति दिव्यांगजन हेतु आरक्षण के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-9096/2013 भारत संघ बनाम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिये गये निर्णय के अधीन होगी।

3–उपरोक्त अभ्यर्थी श्री अंकुर कुमार की तैनाती के आदेश अलग से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा पारस्परिक ज्येष्ठता नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
डॉ देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

21 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 965/दो-4-2022-26/2(5)/2011–सहायक निबन्धक, Admin A-1 मा0 उच्च नयायालय, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के निम्नवत् अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई एल0एल0एम0 डिग्री/पी0एच0डी0 उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने तथा क्रम संख्या-1 व 3 के नाम के पहले 'डॉक्टर' लिखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	उप निबंधक (एम0) संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	श्री ब्रह्मपाल सिंह, सिविल जज (सि0डि0), रामपुर।	15234/IV-4409/Admin. (A-1) दिनांक 26.11.2022	लखनऊ विश्वविद्यालय।	पी0 एच0 डी0	2021

1	2	3	4	5	6
2	श्रीमती साधना चौधरी, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।	15309/IV-1245/Admin. (A-1) दिनांक 29.11.2022	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।	एल0 एल0 एम0	1972
3	सुश्री गंगा शर्मा, तत्कालीन सिविल जज (जू0डी0) गाजीपुर, सम्प्रति सिविल जज (जू0डी0) फतेहपुर।	15770/IV-4607/Admin. (A-1) दिनांक 08.12.2022	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।	पी0 एच0 डी0	2018
4	श्री अंकित वर्मा, तत्कालीन सिविल जज (जू0डी0) कन्नौज, सम्प्रति अपर सिविल जज (जू0डी0) मुरादाबाद।	15803/IV-4561/Admin. (A-1) दिनांक 09.12.2022	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय।	एल0 एल0 एम0	2019

आज्ञा से,
सुनील कुमार,
विशेष सचिव।

नियोजन विभाग

राज्य योजना आयोग-1

अधिसूचना

विविध

10 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 4/2022/(2245/2022) 01/01/35-आ-1-2022-13–संकल्प संख्या-16(एस)/72-122 दिनांक 24 अगस्त, 1972 द्वारा राज्य स्तर पर नियोजन प्रक्रिया को व्यापक एवं सुदृढ़ करने के लिए गठित राज्य योजना आयोग एवं इसके पश्चात् राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन से सम्बन्धित निर्गत समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना आयोग को पुर्नगठित करते हुए नवीन संस्था के रूप में स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission -STC) के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission -STC) का स्वरूप निम्नवत् होगाः–

1	अध्यक्ष	मा0 मुख्यमंत्री जी
2	पदेन सदस्य (विशेष आमंत्री)	1. मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		2. मा0 मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		3. मा0 मंत्री, वित्त विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		4. मा0 मंत्री, कृषि विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		5. मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		6. मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		7. मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		8. मा0 मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		9. मा0 मंत्री, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, सरकार।
		10. मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, नियोजन विभाग, उ0प्र0, सरकार।

3	उपाध्यक्ष	ख्याति प्राप्त लोक प्रशासक/शिक्षाविद/अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय विशेषज्ञ (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित)
4	शासकीय पदेन सदस्य	1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन। 2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन। 3. औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त, उ0प्र0 शासन। 4. समाज कल्याण आयुक्त/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन। 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन। (1) कृषि विभाग। (2) वित्त विभाग। (3) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग। (4) ग्राम्य विकास विभाग। (5) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। (6) नगर विकास विभाग। (7) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। (8) नियोजन विभाग।
5	गैर सरकारी सदस्य	मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित– 1. सामाजिक सेक्टर से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ। 2. कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ। 3. अर्थव्यवस्था एवं वित्त क्षेत्र से सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ। 4. औद्योगिक विकास/निवेश/प्रौद्योगिकी/ऊर्जा क्षेत्र से सम्बन्धित विशेषज्ञ।
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	लोक प्रशासक/प्रमुख सचिव अथवा उससे उच्च पद के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी।
7	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदेन)	विशेष सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन।

2–स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission -STC) के उपाध्यक्ष का मनोनयन एवं समयावधि–

उपाध्यक्ष के रूप में ख्याति प्राप्त अनुभवी लोक प्रशासक/शिक्षाविद/विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ का मनोनयन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा और सदस्यता अवधि अधिकतम 03 वर्ष होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। उपाध्यक्ष का मुख्यालय लखनऊ स्थित योजना भवन होगा। नियमानुसार मानदेय, यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य अनुमन्य सुविधायें जैसी कि समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी, देय होंगी।

3–स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission -STC) के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन एवं समयावधि–

गैर सरकारी सदस्यों के रूप में ख्याति प्राप्त अनुभवी विषय विशेषज्ञ का मनोनयन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा और इनकी सदस्यता अवधि अधिकतम 03 वर्ष होगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस अवधि एवं सदस्यों के मनोनयन तथा संख्या के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आपश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्यों का मुख्यालय लखनऊ स्थित योजना भवन होगा। नियमानुसार मानदेय, यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य अुनमन्य सुविधायें जैसी कि समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी, देय होंगी।

4–मुख्य कार्यकारी अधिकारी–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में योग्य, अनुभवी लोक प्रशासक यथा-प्रमुख सचिव अथवा उससे उच्च पद के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी का मनोनयन मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा। इनका कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष का होगा, जिसे विशेष परिस्थितियों में 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इनके कार्यकाल के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुख्यालय लखनऊ स्थित योजना भवन होगा। सेवारत अधिकारी को नियमानुसार देय वेतन तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे जबकि सेवानिवृत्त अधिकारी के मामले में मानदेय, यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता तथा अन्य अुनमन्य सुविधायें जैसी कि समय-समय पर निर्धारित की जायेंगी, देय होंगी।

5–स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission -STC) के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे–

(1) राज्य के विभिन्न प्रकार के संसाधनों (भौतिक, वित्तीय एवं जनशक्ति) का अनुमान लगाना और राज्य के विकास में इनके सर्वोत्तम उपयोग की नीति तैयार कर सुझाव देना।

(2) राष्ट्रीय एजेण्डा के उद्देश्यों, प्राथमिकताओं के साथ ही राज्य की आवश्यकताओं, संसाधनों व क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार और कार्यक्रमवार अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों की संरंचना के साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये नीतियों एवं कार्यक्रमों पर सुझाव देना।

(3) जनमानस के जीवन स्तर में सुधार हेतु तंत्र विकसित करने तथा राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों को चिन्हित करने तथा विकास एजेण्डा पर सफल कार्यान्वयन हेतु समाधान ढूंढना।

(4) आर्थिक सुधारों के वातावरण एवं परिप्रेक्ष्य में यथासम्भव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय स्त्रोतों/संसाधनों का नियमित रूप से मूल्यांकन करते हुए सुझाव देना।

(5) सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल टेक्नोलॉजी तथ आधुनिकतम संचार साधनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनश्चित करने, उच्च तकनीकी संस्थाओं से सम्न्वय कर ज्ञान हस्तान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए संसाधन केन्द्र (Resource Centre) एवं ज्ञान केन्द्र (Knowledge Hub) के रूप में कार्य करने के साथ ही विकास कार्यों की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

(6) अन्य कार्य, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।

6–स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (State Transformation Commission -STC) के कार्य एवं दायित्व निम्न प्रकार होंगे–

(1) प्रशासन एवं लेखा प्रखण्ड–इस प्रखण्ड मं अधिष्ठान, लेख से सम्बन्धित कार्य होगा। यह प्रखण्ड पूर्व की भांति कार्य करेगा और यह प्रखण्ड अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन विभाग के अधीन रहेगा।

(2) मूल्यांकन प्रखण्ड–इस प्रखण्ड में योजनाओं से सतत् मूल्यांकन सम्बन्धित समस्त कार्य होंगे जैसा कि नीति आयोग, भारत सरकार में डेवलपमेंट, मोनीटारिंग एण्ड इवैल्यूएशन आफिस (DMEO) है।

(3) सेक्टोरल वर्टिकल प्रखण्ड–वर्टिकल प्रखण्ड के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था एवं वित्त, कृषि एवं संवर्गीय, अवस्थपना एवं औद्योगिक विकास, सोशल सेक्टर, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इमर्जिंग सेक्टर, समन्वय तथ नगरीय विकास समाहित होंगे। विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1.	अर्थव्यवस्था एवं वित्त	आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
2.	कृषि एवं संवर्गीय	कृषि एवं संवर्गीय सेवाओं, वन व पर्यावरण, ग्राम्य विकास आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
3.	अवस्थपना एवं औद्योगिक विकास	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, निवेश आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
4.	सोशल सेक्टर	शिक्षा, स्वास्थ्य, पुष्टाहार, महिला व बाल विकास, कमजारे वर्गों के कल्याण आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
5.	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इमजिंग सेक्टर्स	विज्ञान प्रौद्योगिकी, अग्रणी प्रौद्योगिकी, इमजिंग सेक्टर्स, आई0टी0 डेटा प्रबन्धन एवं विश्लेषण, जलवायु, इनोवेशन आदि से सम्बन्धित क्षेत्र।
6.	समन्वय	विभिन्न सेक्टोरल वर्टिकल्स से समन्वय, नीति आयोग, भारत सरकार से समन्वय सम्बन्धी समस्त कार्य।
7.	नगरीय विकास	नगर विकास, आवास एवं शहरी नियोजन तथा नियोजन विभाग द्वारा सम्पादित योजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्र।

7–स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC में राज्य योजना आयोग में कार्यरत कार्मिकों में से अपर निदेशक (02 पद), संयुक्त निदेशक (03 पद), वरिष्ठ शोध अधिकारी (05 पद), शोध अधिकारी (08 पद), अपर शोध अधिकारी (03 पद), सहायक शोध अधिकारी (04 पद), पदधारक पुनर्गठन में निहित कार्यों के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे। राज्य योजना आयोग के शेष कार्मिक नियोजन विभाग के अधीन पूर्ववत् सेवायें प्रदान करते रहेंगे। इन कार्मिकों की संख्या में यथा आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के परामर्श से अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

8–मूल्यांकन प्रखण्ड के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्था के मूल्यांकन प्रभाग के अधीन समस्त कार्मिक स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC के अन्तर्गत अपनी सेवायें प्रदान करेंगे। इन कार्मिकों

में संयुक्त निदेशक (02 पद), ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी (07 पद), मूल्यांकन अधिकारी (13 पद), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (03 पद), अपर सांख्यिकी अधिकारी (21 पद) के साथ ही अराजपत्रित कार्मिक के रूप में 86 पद इस प्रकार कुल मिलाकर 132 पद हैं।

9–स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC में अपेक्षित कौशल रखने वाले परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं/यंग प्रोफेशनल्स/डेटा रिसोर्स पर्सन को यथावश्यकता लिया जा सकेगा। इनकी सेवाशर्ते, चयन प्रक्रिया, अनुबन्ध नियम आदि के बारे में पृथक् से नियोजन विभाग द्वारा अर्न्तविभागीय परामर्श के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा।

10–नियोजन विभाग स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC का सचिवालय होगा।

11–भविष्य में स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन State Transformation Commission-STC में अपरिहार्य संशोधन/परिमार्जन मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

आज्ञा से,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0–49 हिन्दी गजट–भाग 1–2023 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 13, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

प्रारूप–19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

07 फरवरी, 2023 ई0

सं0 1231/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023–उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम सरकडा, कमाल व जगुवा खुर्द, में स्थित कुल 0.5616 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 166 दिनांक 17 मई, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम सरकडा कमाल व जगुवा खुर्द की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	सरकडा कमाल	194	0.0530
				195	0.0038
				196 मि0	0.1165
				199	0.0400
				293	0.1270
				304	0.1240
				308 मि0	0.0050
				120	0.0238
				120 मि0	0.0074
				191	0.0238
				योग . .	**0.5243**
अमरोहा	अमरोहा	अमरोहा	जगुवा खुर्द	4	0.0373
				कुल योग . .	**0.5616**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
विस्थापित परिवारों की संख्या ''शून्य''					

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील अमरोहा, परगना अमरोहा, ग्राम सरकडा कमाल व जगुवा खुर्द में स्थित कुल 0.5616 हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1231/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023 दिनांक 07 फरवरी, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है :

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

[Under Sub-Section (1) of section 19 of the Act]

February 07, 2023

No. 1231/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023–Whereas Preliminary notification No.166/VIII-S.L.A.O./AMROHA dated 17.05.2022 was issued under Sub-section (1) of section II of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.5616 hectares of land in Village-Sarkada Kamal and Jagwa Khurd, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) through Canal Construction (name of requiring body and lastly published on dated 13.08.2022 The Deputy Collector/Assistant Collector, Amroha was appointed is Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under-section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of Nil hectares in Village-Sarkada Kamal and Jagwa Khurd, Pargana-Amroha, Tehsil-Amroha, District-Amroha as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land Under Proposed Acquistition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Amroha	Amroha	Sarkada Kamal	194	0.0530
				195	0.0038

1	2	3	4	5	6
				196 मि0	0.1165
				199	0.0400
				293	0.1270
				304	0.1240
				308 मि0	0.0050
				120	0.0238
				120 मि0	0.0074
				191	0.0238
				Total of Village . .	**0.5243**
Amroha	Dhanora	Dhanora	Jagwa Khurda	4	0.0373
				Total . .	**0.0373**
				G. Total of Village . .	**0.5616**

SCHEDULE-B

(Land indentified as settlement area for displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
No. of Displaced Families 'Zero'					

NOTE--A Plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Bulandshahr By the order of declaration made under Government notification No. 1231/VIII-S.L.A.O./Amroha date 07-02-2023 for 0.5616 hectares of land in Sarkada Kamal and Jagwa Khurd, Pargana-Amroha, Tehsil- Amroha, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body), I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

प्रारूप–19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

07 फरवरी, 2023 ई0

सं0 1230/आठ–वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023–उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर परगना हसनपुर ग्राम घोसीपुरा व नगलिया जट में कुल 0.3262 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 167 दिनांक 17 मई, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 13 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेट कलेक्टर हसनपुर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जनपद अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम घोसीपुरा व नगलिया जट में कुल शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा के कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	घोसीपुरा	50	0.0880
				69	0.0704
				70	0.0374
				71	0.0704
				योग . .	**0.2662**
			नंगलिया जट	148	0.0600
				कुल योग . .	**0.3262**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
			विस्थापित परिवारों की संख्या ''शून्य''		

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा हसनपुर के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम घोसीपुरा व नगलिया जट में स्थित 0.3262 हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1230/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा/2023 दिनांक 07 फरवरी, 2023 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

[Under Sub-section (1) of section 19 of the Act]

Febrauary 07, 2023

No. 1230/VIII-S.L.A.O./Amroha/2023–Whereas Preliminary notification No. 163/VIII-S.L.A.O./ Amroha date 17-05-2022 was issued under sub-section (1) of section II of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0-3262 hectares of land in Village Ghosipura and Nagliya Jat, Pargana Amroha, Tehsil Amroha, District Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body) and laity published on dated 13-08-2022 The Deputy Collector Hasanpur was appointed is Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of this project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is

satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.3262 hectares in village Ghosipura and Nagliya Jat, Pargana Amroha, Tehsil Amroha, District Amroha as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Government is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect, The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A
(Land under proposed Acquistition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Ghosipura	50	0.0880
				69	0.0704
				70	0.0374
				71	0.0704
				Total . .	**0.2662**
			Nagliya Jat	148	0.0600
				Total . .	0.0600
				Grand Total . .	0.3262

SCHEDULE-B
(Land indentified as settlement area for displaced families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
No. of Displaced Families 'Zero'					

NOTE--A Plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

U. P. Irrigation Department, Executive Engineer MGCCD-10, Meerut By the order of declaration made under Government notification no-1230/VIII-S.L.A.O./Amroha date 07-02-2023 for 0.3262 hectares of land in Ghosipura and Nagliya Jat, Pargana Amroha, Tehsil Amroha, District Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal project (Stage-II) though Canal Construction (name of requiring body), I hereby published the declaration made therein and summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land Acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

पी0एस0यू0पी0–49 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 13, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

जिला पंचायत, बांदा

08 फरवरी, 2023 ई0

सं0 518/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239 (2) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करतें हुये जिला पंचायत बांदा ने ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के किनारे साइन बोर्ड एवं दीवारों पर लिखायी अथवा पेटिंग के कार्य को विनियमित एवं नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनायी है। यह उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। उक्त उपविधि के प्राविधानों के सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधियां

1–यह उपविधि ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञापन पट्ट, दीवार प्रचार कार्य को नियंत्रित करने एवं विनियमन की उपविधिया कहलायेगी।

2–यह उपविधि आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात् गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3–परिभाषाये–(अ) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित,1994 की धारा 2(10) में यथा परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है।

(ब) विज्ञापन पट्ट का तात्पर्य ऐसी होर्डिंग से है जो किसी लोहे या लकड़ी के स्तम्भ के सहारे खड़ी की गई या लगाई गई है।

(स) KIOSK (क्यास) का तात्पर्य ऐसे साईन बोर्ड से है जो किसी बिजली के खम्भे, टेलीफोन के खम्भे अथवा किसी दीवार या वृक्ष या अन्य किसी प्रकार के खम्भे के सहारे लगाया गया है।

(द) दीवार प्रचार का तात्पर्य ऐसी विज्ञापन सामाग्री से है जो कि किसी प्रकार पेन्ट, चूना, खड़िया, गेरू आदि से लिखित, चिन्हित एवं चित्रित किया गया हो ।

(झ) अन्य प्रचार सामाग्री का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी टीन या कपड़े में लिखित, चित्रित एवं चिन्हित करके लगाया हो।

4–कोई भी व्यक्ति बांदा जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उपविधि की धारा 10 के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेन्स शुल्क जमा करके तथा विधिवत अनुमति प्राप्त करके ही विज्ञापन पट्ट KIOSK (क्यास) लगायेगा तथा दीवार प्रचार व अन्य प्रचार कार्य करेगा अन्यथा किसी भी दशा में नहीं ।

5–इन उपविधियों के अर्न्तगत अपर मुख्य अधिकारी, लाईसेन्सिग अधिकारी होगे या उनके द्वारा अधिकृत कार्य अधिकारी/कर अधिकारी भी लाइसेन्स जारी कर सकते है।

6–लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की सूचना मिलने पर 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत, बांदा के समक्ष हो सकेगी और अध्यक्ष जिला पंचायत का आदेश मानना दोनों पक्षो के लिये वाध्यकारी होगा।

7–केवल उन्ही विज्ञापन पट्टो KIOSK (क्यास) व दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामाग्रियों को प्रदर्शित, स्थापित एवं चित्रित करने की अनुमति दी जायेगी जो अश्लील न हो और किसी भी तरह समाज विरोधी न हो ।

8–लाइसेन्स के इच्छुक व्यक्ति/संस्था, फर्म अथवा कम्पनी की विज्ञापन सामग्री का विवरण विज्ञापन पर KIOSK (क्यास) दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामाग्री को किस-किस स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करना है को भी इंगित करते हुये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगा। लाइसेन्स अधिकारी स्वयं या अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के माध्यम से स्थल का निरीक्षण करा सकता है। निरीक्षण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि उक्त विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार तथा अन्य सामाग्री किसी ऐसे स्थान पर न हो, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो और वाहन चालको की असुविधा से कोई दुर्घटना सम्भव हो। तदुपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् लाइसेन्स जारी करेगा।

9–लाइसेन्सिग अधिकारी किसी भी ऐसे विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार या अन्य प्रचार सामाग्री को हटवा सकते है। जो इन उपविधियों के अर्न्तगत उपयुक्त न पाये गये हो। लाइसेन्स अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ऐसे विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री हटाने में जो व्यय आये, वह सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था फर्म अथवा कम्पनी से राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर सकता है।

10–विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामाग्री की शुल्क की दरें निम्न प्रकार होगी–

क्रम सं0	मार्ग का नाम	विज्ञापन पट्ट शुल्क (प्रतिवर्ष)	क्यास की शुल्क (प्रतिमाह)	दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामाग्री शुल्क (प्रतिवर्ष)
1	2	3	4	5
		दर प्रति वर्ग फुट लम्बाई	दर प्रति वर्ग फुट लम्बाई	दर प्रति वर्ग फुट लम्बाई
1	बांदा चित्रकूट मार्ग	75.00	75.00	200.00
2	बांदा फतेहपुर मार्ग	75.00	75.00	200.00
3	बांदा कानपुर मार्ग	75.00	75.00	200.00
4	बांदा महोबा मार्ग	75.00	75.00	200.00
5	बांदा हमीरपुर मार्ग	75.00	75.00	200.00
6	अन्य जनपदीय मार्ग	50.00	50.00	150.00

11–अस्थायी टूरिंग, टाकीज तथा सर्कस प्रदर्शनी के लिये विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री भी उपविधि की धारा 10 में वर्णित दरों की एक चौथाई होगी, भले ही प्रदर्शनी की अवधि 3 माह से कम हो।

12–धारा 10 के अन्तर्गत निर्धारित दरों का परिवर्तन/परिवर्धन जिला पंचायत द्वारा किया जा सकता है।

13–भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री इन उपविधियो के अर्न्तगत स्वतः लाइसेन्स मुक्त होगी।

14–भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के किन्ही अधिनियमों, नियमावलियों अथवा शासनादेशों में विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्रियों के सम्बन्ध में जारी निर्देश यथावत लागू माने जायेंगे।

15–भारत निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नियंत्रण एवं निर्देशन में सम्पन्न होने वाले चुनाव से सम्बंधित प्रचार सामग्रियां इन उपविधियों के अर्न्तगत लाइसेन्स व्यवस्था से मुक्त समझे जायेगे। शर्त यह है कि उपरोत निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा दिशा निर्देश जारी किये गये हो।

16–जिला पंचायत की नीतियों/कार्यक्रमों, अधिनियमों, नियमावलियों अथवा शासनादेशों के प्रचार-प्रसार हेतु लगाये गये विज्ञापन पट्ट, KIOSK (क्यास), दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री इस उपविधि के अर्न्तगत स्वतः लाइसेन्स मुक्त होगी।

17–इस उपविधि के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च हेगी। आगामी 30 अप्रैल तक जैसा भी हो उपविधि की धारा 10 में निर्धारित शुल्क जमा करके वार्षिक नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि लाइसेन्स धारी द्वारा 30 अप्रैल तक अपना लाइसेन्स नवीनीकृत नही कराया गया तो रु0 500.00 प्रति माह बिलम्ब शुल्क देने पर ही नवीनीकरण किया जा सकेगा ।

18–उपविधि में निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क की वसूली/उगाही विभागीय/ठेके के माध्यम से कराई जायेगी। वसूली ठेके पर कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न विवरण के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(अ) ठेका/नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार मा0 अध्यक्ष में निहित होगा।

(ब) नीलामी व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी, नीलाम समिति से पंचायत में कार्यरत कार्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता, अभियन्ता, कर अधिकारी सदस्य होंगे तथा अपर मुख्य अधिकारी समिति के अध्यक्ष नामित होगे।

19–उपविधि के प्रस्तर-18 में दी गई व्यवस्थानुसार पंचायत द्वारा लाइसेंस शुल्क उगाही कराने हेतु ठेका/नीलामी का निर्णय लिया गया है तो ऐसी दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को निम्नाकिंत कार्यवाही पूर्ण कराने के उपरान्त कार्य आदेश निर्गत किये जायेंगे –

(क) नीलाम/ठेका स्वीकृत के उपरानत उपविधि के प्राविधानों व तत्सम्बन्धी बनाई गई शर्तों के अनुसार इकरार करना होगा।

(ख) सम्बन्धित ठेकेदार को निर्धारित स्टैम्प पर ''जैसा कि स्टाम्प नियमों में निर्धारित दर हो'' अनुबन्ध करना होगा।

(ग) सम्बन्धित ठेकेदार को पंचायत द्वारा निर्धारित रसीद बहियों में वसूली कार्य करना होगा जो पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त जारी की जायेगी।

(घ) सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वसूली शुल्क उद्ग्रहीत हेतु नियुक्त संग्रह कर्ताओं के नाम, पता, फोटो सहित सूची प्रस्तुत की जायेगी तदुपरान्त लाइसेंसिग अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शुल्क उद्ग्रहीत अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा।

(ङ) उपविधि में वर्णित शर्तों के साथ पंचायतीराज उ0प्र0 शासन व पंचायत तत्सम्बन्धी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961, यथा संशोधित, 1994 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत बॉदा घोषणा करती है कि जो भी व्यक्ति/संस्था उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन करेगा उसे न्यायालय से दोष सिद्ध हो जाने पर दण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकेगा और जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 प्रतिदिन तक हो सकेगा अर्थ दण्ड का भुगतान न करने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो 3 माह होगा।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा।

08 फरवरी, 2023 ई0

सं0 519/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–सं0 2020-21/23 एल0बी0ए0-3(02–03) प्रकाशन, दिनांक 15 मई, 1993 ई0, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, बांदा द्वारा जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों में फैक्ट्री, कारखाना, मिल तथा मशीनों, धान मिल, आइस कैण्डी एवं मशीन द्वारा चलने वाली आटा मशीन, तेल, कोल्हू तथा आरा मशीन एवं अन्य को नियंत्रित करने हेतु उपविधि बनाई गई है। जिसकी पुष्टि आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) दी गई शक्ति का प्रयोग कर की गई है। राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। तत्क्रम में निर्मित उपविधि, जो कि उत्तर प्रदेश गजट, 06 नवम्बर, 1993 ई0 (कार्तिक 15, 1993 शक संवत) में प्रकाशित, प्रकाशन की तिथि से जनपद, बांदा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी है। जिला पंचायत, बांदा की बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के अन्य प्रस्ताव संख्या-04 के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित उपविधि में निम्नवत संशोधन करने का प्रस्ताव जिला पंचायत, की बैठक से सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

उपविधि/संशोधन

क्र0 सं0	फैक्ट्री, कारखाना, मिल मशीन का विवरण	निर्धारित लाइसेंस शुल्क	फैक्ट्री, कारखाना, मिल मशीन का विवरण	संशोधित लाइसेंस शुल्क
1	2	3	4	5
		रु0		रु0
1	राईस मिल फ्लावर मिल	500.00	राईस मिल फ्लावर मिल	5,000.00
2	दाल मिल	500.00	दाल मिल	5,000.00
3	चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखाना	500.00	(क) चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	5,000.00
			(ख) चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
4	रबर एवं प्लास्टिक के वस्तुयें बनाने के कारखाना/मिल	500.00	रबर एवं प्लास्टिक के वस्तुयें बनाने के कारखाना/मिल	5,000.00
5	पाईप बनाने की मिल	500.00	पाईप बनाने की मिल	5,000.00

1	2	3	4	5
		रु0		रु0
6	साबुन बनाने की फैक्ट्री	300.00	साबुन बनाने की फैक्ट्री	5,000.00
7	कोल्ड स्टोरेज	500.00	(अ) कोल्ड स्टोरेज (50 हजार बैग तक)	10,000.00
			(ब) कोल्ड स्टोरेज (50 हजार बैग से अधिक क्षमता पर)	15,000.00
8	माचिस फैक्ट्री	300.00	माचिस फैक्ट्री	3,000.00
9	बीड़ी बनाने का कारखाना	500.00	बीड़ी बनाने का कारखाना	5,000.00
10	बटन बनाने का कारखाना	300.00	बटन बनाने का कारखाना	3,000.00
11	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	300.00	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	2,000.00
12	आईस फैक्ट्री	500.00	(अ) आइस फैक्ट्री (200 सिल्ली तक)	8,000.00
			(ब) आईस फैक्ट्री (200 सिल्ली से अधिक)	15,000.00
13	सिलिका सैन्ट प्लान्ट कारखाना	500.00	सिलिका सैन्ट प्लान्ट कारखाना	2,000.00
14	आटा चक्की	100.00	आटा चक्की	2,000.00
15	तेल मशीन (स्पेलर)	100.00	तेल मशीन (स्पेलर)	2,000.00
16	आरा मशीन	250.00	आरा मशीन	5,000.00
17	धान मशीन	200.00	धान मशीन	2,000.00
18	रूई मशीन	50.00	रूई मशीन	2,000.00
19	थ्रेशर मशीन	50.00	थ्रेशर मशीन	2,000.00
20	कटिया मशीन	50.00	कटिया मशीन	1,000.00
21	अन्य फैक्ट्री, मिल, कारखाना मशीन आदि जो उक्त सूची में अंकित नही है।	300.00	अन्य फैक्ट्री, मिल, कारखाना मशीन आदि जो उक्त सूची में अंकित नही है।	3,000.00

उपरोक्त अनुसूची में क्रमांक-21 के पश्चात् 138 तक निम्न नये व्यवसाय जोड़े गये है।

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	लाइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु0
22	चीनी मिल	50,000.00
23	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
24	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
25	क्रेशर नॉन हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
26	शक्तिचालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00

1	2	3
		रु0
27	शक्तिचालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
28	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
29	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
30	खराद मशीन	1,000.00
31	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
32	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
33	(क) सरिया बनाने का कारखाना (25 लाख तक की लागत का)	10,000.00
	(ख) सरिया बनाने का कारखाना (25 लाख से अधिक की लागत का)	15,000.00
34	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
35	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
36	पेपरकोन बनाने का कारखाना	4,000.00
37	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
38	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
39	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
40	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
41	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
42	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
43	चिलिंग प्लाण्ट	8,000.00
44	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई तक)	25,000.00
45	स्टील, आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (2'' मोटाई से अधिक)	50,000.00
46	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
47	पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना	5,000.00
48	हाटमिक्स प्लाण्ट	10,000.00
49	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
50	पीतल, एल्युमिनियम, स्टील, शीशा, ताबा व टीन आदि से वस्तुएं बनाना।	4,000.00
51	वनस्पति/देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
52	(क) शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना (20 लाख तक की लागत का)।	10,000.00
	(ख) शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना (20 लाख से अधिक की लागत का)।	15,000.00
53	कृषि सम्बंधी यंत्र बनाने का कारखाना।	4,000.00

1	2	3
		रु0
54	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना।	10,000.00
55	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना।	5,000.00
56	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना।	4,000.00
57	प्लास्टिक के पाइप, टैंक बनाने का कारखाना।	7,000.00
58	बिजली के सामान बनाने का कारखाना।	4,000.00
59	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
60	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
61	सीमेन्ट बनाने का कारखाना	15,000.00
62	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंकीट आदि के ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना।	10,000.00
63	टेलीविजन बनाने का कारखाना।	10,000.00
64	विनियर एण्ड शॉ मिल	7,000.00
65	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
66	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना।	15,000.00
67	साकिट बनाने का कारखाना।	5,000.00
68	हार्डबोर्ड व प्लाईबुड या माइका बनाने का कारखाना।	10,000.00
69	दवाई बनाने का कारखाना।	7,000.00
70	कम्प्यूटर कागज कटिंग एवं प्रिटिंग, गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना।	5,000.00
71	लैमिनेशन का कारखाना।	5,000.00
72	दूध पैकिंग का कारखाना।	6,000.00
73	केमिकल बनाने का कारखाना।	8,000.00
74	डबलरोटी या बिस्कुट, नमकीन, दालमोट, चिप्स बनाने कारखाना।	5,000.00
75	गैस आदि बनाने का कारखाना।	5,000.00
76	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना।	8,000.00
77	बेल्डिंग राइस बनाने का कारखाना।	6,000.00
78	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना।	6,000.00
79	ढलाई करने का कारखाना।	6,000.00
80	स्टील अलमारी, बक्से मेज आदि बनाने कारखाना।	6,000.00
81	पशु चारा/पशु आहार बनाने का कारखाना।	5,000.00
82	धागा बनाने का कारखाना।	4,000.00
83	धारा डबलिंग का कारखाना।	7,000.00

1	2	3
		रु0
84	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना।	7,000.00
85	वांशिग पाउडर, डिटर्जेन्ट बनाने का कारखाना।	7,000.00
86	पट्टा बनाने का कारखाना।	3,000.00
87	कमानी पट्टा/स्प्रिंग बनाने का कारखाना।	10,000.00
88	रबड़ के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना।	15,000.00
89	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
90	तिरपाल बनाने का कारखाना।	10,000.00
91	आतिशबाजी सम्बंधी सामान बनाने का कारखाना।	10,000.00
92	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना।	5,000.00
93	चार पहिया बनाने का कारखाना।	1,00,000.00
94	दो पहिया बनाने का कारखाना।	50,000.00
95	तार बनाने का कारखाना।	15,000.00
96	तार की जाली बनाने का कारखाना।	3,500.00
97	लालटेन बनाने का करखाना।	3,000.00
98	रेगमाल बनाने का कारखाना।	4,000.00
99	बैट्री बनाने तथा नष्ट करने का कारखाना।	5,000.00
100	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना।	10,000.00
101	रंग बनाने का कारखाना।	5,000.00
102	गम, टेप बनाने का कारखाना।	4,000.00
103	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना।	5,000.00
104	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारखाना।	5,000.00
105	रांगा बनाने का कारखाना।	5,000.00
106	गैस चूल्हा या उसके पार्टस बनाने का कारखाना।	5,000.00
107	हड्डी मिल	25,000.00
108	सरेश मिल	5,000.00
109	पेट्रोल मिल	4,000.00
110	डीजल मिल	5,000.00
111	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	25,000.00
112	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना।	2,000.00

1	2	3
		रु0
113	प्रिटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
114	सिनेमा हाल	4,000.00
115	विडियो सिलेमा हाल	2,500.00
116	मुर्गा/मुर्गी दाना कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
117	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
118	रेडीमेड गारमेन्ट का कारखाना।	15,000.00
119	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना।	15,000.00
120	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
121	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	20,000.00
122	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना।	15,000.00
123	एयर कंडीशनर बनाने का कारखाना।	10,000.00
124	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना।	5,000.00
125	शीशा बनाने का कारखाना।	3,000.00
126	पिपरमिंट बनाने का कारखाना।	2,000.00
127	चमड़ा टेनरी का कारखाना।	25,000.00
128	जैविक कारखाना।	5,000.00
129	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
130	फिक्स चिमनी ईट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
131	सीमेन्ट ईंट/इण्टरलॉक ब्रिक बनाने की फैक्ट्री व बिक्रय	7,000.00
132	मोरम डम्प	10,000.00
133	टोल प्लाजा	50,000.00
134	प्राइवेट स्कूल श्रेणी-1 (200 छात्रों से कम सं0)	0.00
135	प्राइवेट स्कूल श्रेणी-2 (200 से 300 छात्रों की सं0)	5,000.00
136	प्राइवेट स्कूल श्रेणी-3 (300 से 500 छात्रों की सं0)	7,500.00
137	प्राइवेट स्कूल श्रेणी-4 (500 से 1000 छात्रों की सं0 या उससे अधिक	10,000.00
138	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थान	10,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगो को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुये अधिकतम लाइसेंस फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अर्न्तगत निर्धारित की जा सकती है।

क्र0 सं0	मद / व्यवसाय का नाम / कारखाने का नाम	प्रस्तावित लाइसेंस शुल्क वार्षिक
1	2	3
		रु0
1	उद्योग श्रेणी-1 (लागत 20 लाख तक)	5,000.00
2	उद्योग श्रेणी-2 (लागत 20 लाख से 50 लाख तक)	10,000.00
3	उद्योग श्रेणी-3 (लागत 50 लाख से अधिक)	25,000.00

जिला पंचायत, बांदा को यह अधिकार होगा कि वह उपविधि संख्या-1 में वर्णित शुल्कों को किसी भी समय बढावें।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा।

08 फरवरी, 2023 ई0

सं0 520 / 21-एल0बी0ए0 / उपविधि-प्रकाशन–सं0 2820-21 / 23 एल0बी0ए0-102(1991-92) प्रकाशन, दिनांक 19 मई, 1993 उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, बांदा द्वारा जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले ईंट भट्ठा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी आदि के भट्ठे को नियंत्रित एवं विनियमित किये जाने हेतु उपविधि बनाई गई है। जिसकी पुष्टि आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) दी गई शक्ति का प्रयोग कर की गई है। राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी। तत्क्रम में निर्मित उपविधि, जो कि उत्तर प्रदेश गजट, 4 सितम्बर, 1993 ई0 (भाद्र 13, 1915 शक संवत्) में प्रकाशित, प्रकाशन की तिथि से जनपद, बांदा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी है। जिला पंचायत, बांदा की बैठक दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के अन्य प्रस्ताव संख्या-04 के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित उपविधि में निम्नवत संशोधन करने का प्रस्ताव जिला पंचायत, की बैठक से सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

उपविधि / संशोधन

क्र0 सं0	वर्तमान स्वीकृत उपविधि में प्राविधान			प्रस्तावित संशोधित उपविधि में प्राविधान		
1	2			3		
1	8–शुल्क निम्नलिखित होगा–			8–शुल्क निम्नलिखित होगा–		
	क्र0सं0		रु0 वार्षिक	क्र0सं0		रु0 वार्षिक
	अ.	चिमनी ईंट भट्ठा	2,000.00	अ.	चिमनी ईंट भट्ठा	10,000.00
	ब.	बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00	ब.	बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा-पत्र शुल्क	5,000.00
	स.	टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00	स.	टाइल्स अनुज्ञा पत्र शुल्क	3,000.00
	द.	चूना या सुखी, ईंधन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	500.00	द.	चूना या सुखी, ईंधन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	3,000.00
	य.	चूना या सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	100.00	य.	चूना या सुर्खी, बैल चक्की द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	2,000.00

1	2	3
2	13–01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने का रु0 300.00 का बिलम्ब शुल्क जमा करना होगा।	13–01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण करने का रु0 1,000.00 का बिलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
3		जिला पंचायत, बांदा को यह अधिकार होगा कि वह उपविधि संख्या-8 व 13 में वर्णित शुल्क को किसी भी समय बढ़ावे।
4		नये ईंट भट्ठे बिना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये संचालित नही किये जायेंगे।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल,
बांदा।

08 फरवरी, 2023 ई0

सं0 521/21-एल0बी0ए0/उपविधि-प्रकाशन–सं0 1558-59/तेईस-जे0ए0-71(84-85) प्रकाशन, दिनांक 28 अप्रैल, 1989 ई0–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 142 एवं 143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, बांदा द्वारा जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशरों के नियंत्रण एवं विनियमन हेतु उपविधि बनाई गई है। जिसकी पुष्टि आयुक्त महोदय, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) दी गई शक्ति का प्रयोग कर की गई है। राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी, इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बंधित पूर्व में प्रचलित उपविधियां निरस्त हो जायेंगी। तत्क्रम में निर्मित उपविधि, जो कि उत्तर प्रदेश गजट, 27 मई, 1989 ई0 (ज्येष्ठ 6, 1911 शक संवत) में प्रकाशित, प्रकाशन की तिथि से जनपद, बांदा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी है। जिला पंचायत, बांदा की बैठक दिनांक11 अप्रैल, 2022 के अन्य प्रस्ताव संख्या-04 के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित उपविधि में निम्नवत संशोधन करने का प्रस्ताव जिला पंचायत, की बैठक से सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

उपविधि/संशोधन

क्र0 सं0	वर्तमान स्वीकृत उपविधि में प्राविधान	प्रस्तावित संशोधित उपविधि में प्राविधान
1	2	3
1	16–लाइसेंस की अवधि एक वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी तथा अगले वर्ष के नवीनीकरण कराने के लिये 15 अप्रैल तक प्रार्थना-पत्र देना होगा। नवीनीकरण के लिये निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् रु0 100.00 बिलम्ब शुल्क देने के उपरान्त ही नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।	16–लाइसेंस की अवधि एक वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी तथा अगले वर्ष के नवीनीकरण कराने के लिये 15 अप्रैल तक प्रार्थना-पत्र देना होगा। नवीनीकरण के लिये निर्धारित अवधि (01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक) की समाप्ति के पश्चात् रु01,000.00 बिलम्ब शुल्क देने के उपरान्त ही नवीनीकरण प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।
2	17–अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) की फीस रु0 1,250.00 (बारह सौ पचास रुपये) प्रति वर्ष अथवा वर्ष के मांग के लिये होगी।	17–स्टोन क्रेशर प्लान्ट के अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) की फीस निम्नवत होगीः– (अ) मशीनीकृत प्लान्ट– 15,000.00 (ब) हैण्ड ब्रोकेन प्लान्ट– 10,000.00
3		जिला पंचायत, बांदा को यह अधिकार होगा कि वह उपविधि संख्या-16 व 17 में वर्णित शुल्क को किसी भी समय बढ़ावे।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

कार्यालय, जिला पंचायत मऊ

(शुद्धि-पत्र)

27 फरवरी, 2023

सं0 766 / जि0पं0 / 2022-23–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, मऊ की जनपद-मऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में मानक उपविधि का सरकारी गजट में दिनांक 11 फरवरी, 2023 को भाग-3 में प्रकाशन कराया गया है। उक्त उपविधि के पृष्ठ संख्या-110 पर अन्तिम दो लाइन **''अतः उपरोक्त उपविधि में कोई आपत्ति हो तो 10 दिन के अन्दर लिखित आपत्ति कार्यालय जिला पंचायत, मऊ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उसका निस्तारण करके उपविधि का प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सकें''** गलत अंकित हो गया है। अवगत कराना है कि उक्त दोनों लाइन उपविधि में विभाग में आपत्ति प्राप्त करने हेतु जनपद-मऊ में समाचार-पत्र में प्रकाशित कराया गया था, जो त्रुटिवश राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया है।

अतः उक्त उपविधि के पृष्ठ संख्या-110 पर अन्तिम दो लाइन अनापत्ति हेतु निर्गत समाचार-पत्र तक ही पढ़ा और समझा जायें।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर आयुक्त (न्यायिक),
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

पी0एस0यू0पी0–49 हिन्दी गजट–भाग 3–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 13, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत भवन बहादुर नगर, बुलन्दशहर

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत् चलने वाले रिक्शा/बैट्री रिक्शा, तांगा ठेला/ठेली हाथ ठेला, बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी (बुग्गी), ऑटों रिक्शा एवं अन्य चार पहियों के वाहन आदि के लाईसेन्स जारी करने सम्बन्धी उपविधियॉ

सं0 119/न0पं0बी0बी0न0/2022-23–नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्तर्गत् चलने वाले रिक्शा/बैट्री रिक्शा/तांगा ठेला/ठेली ,बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी (बुग्गी), ऑटो रिक्शा एवं अन्य चार पहियों के वाहन पर नियन्त्रण हेतु नवीन उपविधियां अपनी सीमा में निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं से अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण तथा उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294, सपठित धारा 298 (1) एच0सी0डी0 के अधीन एवं शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/94 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 तथा पश्चात्वर्ती शासनादेश संख्या 1847/नौ-9-97-23ज/97 न0वि0अनु0-9, दिनांक 09 जून, 1997 के अनुपालनार्थ इनके शीर्षक ''परिवहन'' में उल्लिखित मद एवं अंकित दरों के अनुसार निर्मित की जानी है, जिसके लिए निम्न वर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा धारा 298 (2) नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत लागू किया जाता है जो कि दिनांक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी, से प्रभावी होगी।

उपविधियॉ

1–(1) यह उपविधि नगरपंचायत भवन बहादुर नगर, जनपद बुलन्दशहर रिक्शा, बैट्री रिक्शा, ठेला/ठेली, हाथ ठेला, बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी (बुग्गी), ऑटों रिक्शा एवं अन्य चार पहियों के वाहन पर नियन्त्रण उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगरपंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से हैं)।

(2) ''अनुज्ञापित व्यक्ति'' का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इस उपविधि में वर्णित किसी वाहन का स्वामी अथवा संचालक हो जिसने इस उपविधि के अधीन नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा में उसे चलने हेतु नगर पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो।

(3) ''अनुज्ञा-पत्र'' का अर्थ इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा-पत्र से है।

(4) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है।

(5) "अनुज्ञा" का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है ।

(6) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।

(7) "अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है ।

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3–कोई भी व्यक्ति अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी की अनुज्ञा के बिना नगर पंचायत सीमा में रिक्शा/बैट्री रिक्शा, तांगा ठेला/ठेली, हाथ ठेला, बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी (बुग्गी), ट्राली-ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा एवं अन्य चार पहियों के वाहनों का संचालन नहीं करेगा और ना ही करायेगा।

4–अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी आवेदित अनुज्ञा प्रदान करने से पूर्व वाहन और चालक के सम्बन्ध में निम्न सुसंगत बिन्दुओं पर जॉच करायेंगे और निम्नवर्णित शर्तों की पूर्ति ना होने की दशा में अनुज्ञा प्रदान नहीं की जायेगी–

(1) रिक्शा, बैट्री रिक्शा, हाथ ठेला और पशु चालित वाहनों को चलाने वाले व्यक्ति/अनुज्ञापित व्यक्ति की आयु 18 से कम या 65 वर्ष से अधिक न हो,

(2) रिक्शा/हाथ ठेला चलाने वाला व्यक्ति रिक्शा/हाथ ठेली/ठेला बोझा सहित खींचने योग्य हो और उसकी ऑख और सुनने की शक्ति संतोषजनक हो, वह संक्रामक रोग से पीड़ित न हो,

(3) आवेदक/सम्बन्धित व्यक्ति यातायात के नियमों से भली-भॉति परिचित हो और नगर पंचायत की सीमा के अन्दर सभी मार्गों को भली-भॉति जानकारी रखता हो,

(4) आवेदक को किसी भी न्यायालय से अनैतिकता के कारण किसी प्रकार के अपराध में दण्डित नहीं किया गया हो,

(5) इंजन शक्ति चालित वाहन चलाने वाले व्यक्ति (चालक) परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) धारक हो,

(6) वाहन सुदृढ़ स्थिति का हो और पर्यावरण प्रदूषित करने वाला नहीं हो,

(7) रिक्शा मडगार्ड, सामने की तरफ एक लाइट, घंटी और पीछे की ओर लाल लाइट युक्त हो, इसके अतिरिक्त ब्रेक मजबूत और सही स्थिति में हो,

(8) पशु चालित वाहन का पशु स्वस्थ हो,

5–प्रत्येक दृष्टि से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी द्वारा नगर पंचायत की सीमा में उपविधि-3 में उल्लिखित वाहन चलाने हेतु एक वर्ष के लिए इन शर्तों के साथ अनुज्ञा दी जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लधंन पर किसी भी समय अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् निलम्बित या निरस्त कर दिया जायेगा।

6–नगर पंचायत कार्यालय में ऐसा रजिस्टर रखा जायेगा जिसमें वाहन एवं संचालनकर्ता सम्बन्धित पते सहित अपेक्षित सूचनायें दर्ज की जायेंगी।

7–उपविधि-8 के प्राविधान के अतिरिक्त इस उप नियमावली के अधीन निर्गत अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

8–जब कभी कोई अनुज्ञापित व्यक्ति अपना वाहन किसी दूसरे के नाम स्थानान्तरित करेगा तो नाम बदलने वाला अथवा जिसका नाम बदल जायेगा या स्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसका उत्तराधिकारी स्थानान्तरण अथवा मृत्यु (जैसी भी स्थिति हो) 15 दिवस के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी से लिखित आवेदन करेगा, अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति के उपरान्त नियत शुल्क लेकर रजिस्टर में वाहन के स्वामित्व का स्थानान्तरण दर्ज करेगा, इस प्रकार मूल स्वामी का अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) निरस्त कर दिया जायेगा। लेकिन मृत्यु की दशा में उसका लाईसेन्स उसके उत्ताधिकारी के नाम स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और वह अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) की शेष अवधि के लिए चालू रहेगा और उस पर उपनियामावली में दिये गये प्राविधान के अनुसार नवीनीकरण विनियम लागू होंगे।

9–जब कभी कोई अनुज्ञापित अपने निवास स्थान का पता बदलने या यह कार्य बन्द कर दें तो वह इसकी लिखित सूचना 15 दिवस के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को देगा जो उपविधि संख्या-6 में किये गये प्राविधान के अनुसार इस प्रकार के परिवर्तन का कार्य बन्द करने की सूचना को रजिस्टर में अकित करा देगा।

10–अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को किसी भी ऐसे अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा जो धोखे से अथवा सही तथ्य छिपाकर प्राप्त किया गया हो,परन्तु अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को निरस्त करने से पूर्व अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा, परन्तु अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को यह अधिकार होगा कि सुनवाई होने तक अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को स्थगित कर दे, परन्तु अनुज्ञा-पत्र/लाइसेन्स को अधिकतम 15 दिवस तक ही स्थगित करने का अधिकार अनुज्ञा लाईसेन्स अधिकारी को होगा, परन्तु यदि निर्धारित अवधि में अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स धारक के द्वारा अपना जवाब/स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तथा सुनवाई में देरी की जाती है तब 15 दिवस के पश्चात् भी अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को स्थगित किया जा सकता है। अनुज्ञा लाईसेन्स अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि ऐसे किसी भी प्रकरण में यथासम्भव 15 दिवस के अन्दर अपना निर्णय लें यदि उक्त अवधि के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तब उस कारण का पृष्ठांकन अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को करना आवश्यक होगा।

11–प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति (लाईसेन्स) को शुल्क रु0 50.00 जो अनुज्ञा शुल्क से अतिरिक्त होगी लेकर एक प्लेट दी जायेगी जिस पर वर्ष व लाईसेंस का नम्बर अंकित होगा यह प्लेट लाईसेन्स वाले वाहन पर ऐसे सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी जहॉ पर सुरक्षित और स्पष्ट दिखाई दे सके और अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) भी हर समय अनुज्ञापित व्यक्ति को अपने पास रखना होगा।

12–रात्रि में कार्य करने वाले ऐसे प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति (लाईसेन्स) को अपने वाहन पर पर्याप्त रोशनी का प्रबन्ध करना होगा।

13–वाहन के अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) का शुल्क निम्न प्रकार लिया जायेगा–

	रु0
रिक्शा	50.00
हाथ ठेला	50.00
बैट्री रिक्शा	100.00
तॉगा	100.00
बुग्गी/बैलगाड़ी	100.00
ऑटो रिक्शा	200.00
अन्य चार पहिये के वाहन	300.00

14–अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण हेतु शुल्क अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) के शुल्क के 1/2 के बराबर लिया जायेगा।

15–शुल्क का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में किया जायेगा परन्तु यदि कोई अनुज्ञाधारी नवीनीकरण के आवेदन-पत्र को पुस्तुत करने में देरी करता है तब उसे आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिये देरी का पर्याप्त कारण अनुज्ञा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और यदि अनुज्ञा अधिकारी सन्तुष्ट हो जाता है कि वास्तव में अनुज्ञाधारी के पास नवीनीकरण का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिये हुई देरी करने का पर्याप्त कारण मौजूद है तब वह उन अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण कर सकता है तथा ऐसी देरी के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के लिये बिलम्ब शुल्क के रूप में अनुज्ञा-पत्र के निर्धारित शुल्क का 10 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके भाग के लिये अनुज्ञाधारी से वसूल करेगा।

16–अगर उपविधियों के विरुद्ध रिक्शा/बैट्री रिक्शा, तांगा, ठेला/ठेली, हाथ ठेला, बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी (बुग्गी), ट्राली-ट्रैक्टर ऑटों रिक्शा एवं अन्य चार पहियों के वाहन का संचालन बिना अनुज्ञा प्राप्त किये करता है तब उसका वाहन नगर पंचायत के द्वारा जब्त किया जा सकता है तथा ऐसे चालक के विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही भी की जा सकती है, और शुल्क का 20 गुना तक जुर्माना प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा, जिसका निर्णय अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

17–उपरोक्त वर्णित वाहन से सम्बन्धित चालक के लिये नियमानुसार कोई चालक अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) यातायात विभाग से लेना आवश्यक हो तब उक्त उपविधियों के होते हुये भी उक्त अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) के बिना उक्त उपविधि के अनुसार चालक अपने वाहन का संचालन नहीं कर सकेगा और उसके सम्बन्ध में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही में इन उपविधियों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

18–यदि शासन/प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार के वाहन का संचालन अवैध घोषित करके बन्द कर दिया जाता है तब नगर पंचायत के द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

19–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

20–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत् चलने वाले नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशुकल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल भवनों के सम्बन्ध में उपविधियॉ

सं0 120/न0पं0बी0बी0न0/2022-23–नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्तर्गत् निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) के अर्न्तगत् नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशुकल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल के भवनों के सम्बन्ध में अनुज्ञा (लाईसेन्स) प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा धारा 298(2) नगरपालिका अधिनियम के अर्न्तगत् लागू किया जाता है, जोकि दिनांक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी से प्रभावी होगी।

उपविधियॉ

1–(1) यह उपविधि नगरपंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर की नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशु कल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल चलाने के सम्बन्ध में अनुज्ञा (लाईसेन्स) जारी करने की उपविधि कहलायेगी,

(2) यह सम्पूर्ण नगरपंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से है,

(2) "अनुज्ञापित व्यक्ति" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो इस उपविधि में वर्णित नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशुकल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल के भवनों का स्वामी/संचालक हो तथा नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा में संस्थापित हो, तथा उसे चलाने हेतु अनुज्ञा (लाईसेंस) अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो,

(3) "अनुज्ञा-पत्र" का अर्थ इस उपविधि के अधीन प्रद्त्त अनुज्ञा-पत्र से है,

(4) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है,

(5) "चेयरमैन" से तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के चैयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है,

(6) "अनुज्ञा" का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त "अनुज्ञा" से है,

(7) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(8) "अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारीं" का तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है।

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3–**प्रतिबन्ध**–कोई भी व्यक्ति नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा में नगरपंचायत से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशु कल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल के भवनों को संचालित नहीं करेगा।

4–**अनुज्ञा (लाईसेन्स) प्रदान किये जाने की शर्तें**–अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी–

(1) नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशु कल्याण चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल भवनों के फर्श सीमेन्ट/मारबल के होने चाहिए, तथा भवन में आने वाले वाहनों के लिये उचित पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिये।

(2) वर्णित व्यवसायों के भवनों की समस्त दीवारें छत पक्की होनी चाहिए तथा भवन में प्रत्येक वर्ष व्हाइट वॉश (सफेदी) का होना अनिवार्य है,

(3) कोई भी पशु वर्णित व्यवसायों/प्रतिष्ठानों के भवनों में नहीं रहेगा और न पाला जायेगा,

(4) कोई भी व्यक्ति जो छूत की बीमारी का रोगी हो उपरोक्त वर्णित व्यवसायों/प्रतिष्ठानों में कर्मचारी के रूप में नियोजित नहीं किया जायेगा,

(5) वर्णित व्यवसायों के भवन को उस समय पूर्णतया खोल दिया जायेगा जबकि नगर पंचायत चेयरपर्सन/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी उसका निरीक्षण करना चाहे और उनके दिये गये समस्त निर्देशों का पालन करेगा,

(6) दिन में कम से कम दो बार अर्थात् प्रातः और सायंकाल दोनों समय भवन के फर्श की धुलाई की जायेगी, किसी भी समय कूड़ा, गन्दगी एकत्रित नहीं होगी, अनुज्ञापित व्यक्ति को अपने नर्सिंग होम अथवा क्लीनिक में प्रयोग किये गये बेन्डेज निडिल, एवं अन्य संक्रामक उत्सर्जन का विसंक्रमण स्वयं करना होगा उसके उपरान्त ही नगरपंचायत के खत्ते में इसे डाला जायेगा। बिना विसंक्रमित के नर्सिंग होम, प्रसूतिगृह, क्लीनिक वर्णित व्यवसाय/प्रतिष्ठानों की गन्दगी सड़क अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर फैलाने को अपराध माना जायेगा जो दण्डनीय होगा,

(7) रोगियों एवं तीमारदारों के लिए एक शिकायत पुस्तिका की व्यवस्था की जायेगी यह पुस्तिका चैयरपर्सन/अधिशासी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगी,

(8) अनुज्ञापित व्यक्ति को अपने यहां एक रजिस्टर रखना आवश्यक होगा जिसमें वह अपने यहां के समस्त कर्मचारियों के स्थानीय तथा स्थाई पते मय फोटो रखेगा और यह उसका यह उत्तरदायित्व होगा कि रजिस्टर में अंकित समस्त विवरण सही और शुद्ध हो, इसके अतिरिक्त अनुज्ञापित व्यक्ति (लाईसेन्स प्राप्तकर्ता) को अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के निर्देश पर अपने किसी कर्मचारी जो उसके यहां कार्यरत् है अथवा अधिष्ठान से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित है, की स्वास्थ्य परीक्षण अपने ही व्यय पर करानी होगी और इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह कर्मचारी किसी प्रकार के संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है, यदि किसी कर्मचारी के रोगग्रस्त होने पर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी की आज्ञा ऐसे कर्मचारी को हटाने की होती है तो उस कर्मचारी को सेवा से तुरन्त पृथक् करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी को हैजा और म्यादी रोग की सुई (इंजेक्शन) लगवाना आवश्यक होगा,

(9) प्रत्येक अनुज्ञापित व्यक्ति (लाईसेन्स प्राप्तकर्ता) को अपने अधिष्ठान के किसी प्रमुख स्थान पर एक साईन बोर्ड हिन्दी लिपि में अपने अधिष्ठान के नाम का लगवाना होगा,

(10) रोगियों, जच्चा-बच्चा आदि की सुविधा के लिये जो फर्नीचर आदि प्रयोग में लाये जायेंगे, उनको हर समय स्वच्छ रखा जायेगा,

(11) अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) अहस्तान्तरणीय होगा,

(12) नर्सिंग होम में नर्स व कम्पाउण्डर का प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण—उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई शर्त (जो आवश्यक हों) नगरपंचायत/प्रभारी अधिकारी के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

5—**अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) प्राप्त करने के लिये शुल्क**—उपरोक्त उपविधि के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) के लिए निम्न शुल्क प्रतिवर्ष देय होगा —

	रु0
(1) नर्सिंग होम 10 शैया तक	2,000.00
(2) नर्सिंग होम 20 शैया तक	3,000.00
(3) नर्सिंग होम 20 शैया से ऊपर	4,000.00
(4) प्रसूति गृह 10 शैया तक	2,000.00
(5) प्रसूति गृह 20 शैया तक	3,000.00
(6) प्रसूति गृह 20 शैया से ऊपर	3,000.00
(7) पैथालॉजी सेण्टर	400.00
(8) एक्सरे क्लीनिक/अल्ट्रा साऊण्ड	1,000.00
(9) डेण्टल क्लीनिक	2,000.00
(10) नेत्र चिकित्सा केन्द्र/क्लीनिक	2,000.00
(11) सी0टी0 स्कैन सेण्टर	2,500.00
(12) प्राइवेट क्लीनिक जहां डॉक्टर बैठते हैं	2,000.00
(13) औषधि निर्माण	2,000.00
(14) औषधि विक्रय (मेडिकल स्टोर)	1,000.00

स्पष्टीकरण—उपरोक्त शुल्क का नवीनीकरण प्रतिवर्ष नगरपंचायत/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

6—**अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) की अवधि**—प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) जो उपरोक्त उपविधियों के आधार पर स्वीकार किया जायेगा वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए होगा और नवीन अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) अथवा उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र 30 मार्च तक प्रस्तुत किया जायेगा ।

7–यदि ऐसा आवेदन-पत्र 30 मार्च के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क के साथ अनुज्ञा शुल्क की प्रतिशत प्रत्येक माह के लिये बतौर बिलम्ब शुल्क देना होगा,

8–नर्सिंग होम और प्रसूतिगृह आदि ऐसे व्यवसाय के भवन जनमार्ग या सड़क से नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित दूरी पर ही निर्मित किया जा सकेगा जो कि भवन निर्माण के लिये बनाई गई उपविधियेां के अनुरूप होगा ।

9–इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना उल्लिखित व्यवसाय/कार्य किसी भवन में संचालित नहीं किया जा सकेगा, परन्तु उक्त अपराध को नियमानुसार उपशमित किया जा सकेगा।

10–वर्णित व्यवसाय के भवनों में वाहनों के खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान रखा जायेगा और कोई भी वाहन मार्ग/सड़क अथवा फुटपाथ पर खड़ा नहीं किया जायेगा।

11–अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा यह व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी कि आगन्तुक व्यक्तियों के वाहनों से जनमार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो अन्यथा उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उक्त भवन के यथास्थिति स्वामी अथवा संचालक का होगा और अभियोजन सहित उसे इस उपविधि के अधीन दण्डित किया जा सकेगा–

12–कोई भी नर्सिंग होम, प्रसूतिगृह और प्राइवेट अस्पताल आदि जिसमें शैयाओं (बेड) की व्यवस्था हो, को निम्न वर्णित शर्तों के अधीन संचालन की अनुमति दी जा सकेगी

(1) ऐसे व्यवसाय वाले भवन किसी ऐसी गली में संचालित नहीं किये जा सकेंगे जहॉ एम्बूलेन्स/रोगी को ले जाने वाले कोई वाहन ना जा सके,

(2) न्यूनतम् 05 शैयाओं (बेड्स्) की व्यवस्था हो,

(3) भवन में खुला स्थान एक-तिहाई से अधिक हो,

(4) प्रत्येक आवासीय कक्ष के सामने बरामदा हो,

(5) संवातन, पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो,

(6) स्नानागार और शौचालय की समुचित व्यवस्था हो,

13–इस उपविधि में वर्णित नर्सिंग होम, प्रसूति केन्द्र, शिशु कल्याण, चिकित्सा क्लीनिक, प्राईवेट अस्पताल, पैथोलॉजी सेन्टर, एक्सरे क्लीनिक, डेन्टल क्लीनिक, अल्ट्रा साऊण्ड, सी0टी0 स्केन सेण्टर, प्राईवेट क्लीनिक, औषधि बिक्री और निर्माण के स्थल के भवनों से सम्बन्धित अनुज्ञप्ति नगरपंचायत के द्वारा केवल उसी दशा में प्रदान की जा सकेगी जबकि उक्त के द्वारा नियमानुसार स्वास्थय विभाग व अन्य विभागों से (जो कि आवश्यक हो) अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।

14–**अपराध का शमनीय होना**–इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त किये बिना निर्मित नर्सिंग होम, प्रसूति गृह, प्राइवेट अस्पाल और शैया की व्यवस्था युक्त ऐसे ही क्लीनिक/सेन्टर आदि नगरपंचायत के द्वारा ध्वस्त किये जा सकेंगे अथवा ऐसा अपराध नियम अनुसार शमनित किया जा सकेगा ।

15–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।

16–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत् चलने वाले रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाड़ी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि को खड़ा करने के लिये स्टैण्ड (अड्डा) एवं निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल की स्थापना/अनुज्ञा दिये जाने सम्बन्धी उपविधियॉ

सं0 121/न0पं0बी0बी0न0/2022-23—नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत् चलने वाले रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाड़ी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि को खड़ा करने के लिये स्टैण्ड (अड्डा) एवं निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल की स्थापना/अनुज्ञा देने के सम्बन्ध में नवीन उपविधि अपनी सीमा में निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि, उनके अनुरक्षण तथा उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293-ख, 294 सपठित धारा 298 (1) जे एवं 299 के अधीन निर्मित की जानी है, जिसके लिए निम्नवर्णित उपविधियों को नगरपंचायत पहासू के द्वारा धारा 298(2) नगरपालिका अधिनियम के अर्न्तगत् लागू किया जाता है, जोकि दिनांक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी, से प्रभावी होगी ।

उपविधियॉ

1—(1) यह उपविधि नगरपंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाड़ी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि को खड़ा करने के लिये स्टैण्ड (अड्डा) एवं निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल की स्थापना/अनुज्ञा दिये जाने सम्बन्धी उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगरपंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी।

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2—**परिभाषायें**—विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से हैं)

(2) ''स्टैण्ड (अड्डा)" का अभिप्राय ऐसे स्थल से है जो इस उपविधि में दिये गये नियमों के अनुसार नगर पंचायत भवन बहादुर नगर किसी वाहन (जिन्हें निश्चित किया जाये) को खड़ा करने के लिये निर्धारित/स्थापित करती है।

(3) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है।

(4) "अनुज्ञा-पत्र" का अर्थ इस उपविधि के अधीन प्रदृत्त अनुज्ञा-पत्र से है।

(5) ''चेयरपर्सन'' से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के चेयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(6) "अनुज्ञा" का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(7) वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(8) अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है।

(9) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियामानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

(10) निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थल से तात्पर्य ऐसी किसी निजी भूमि अथवा भवन से है जिसका इस्तेमाल भवन/भूमि स्वामी अथवा अध्यासी (जैसी भी स्थिति हो) शुल्क प्राप्त करके अन्य लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिये करता है।

स्पष्टीकरण—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3–कोई भी रिक्शा, बैट्री रिक्शा, मोटर गाड़ी (सवारी अथवा माल ढोने वाले), तांगा आदि नगर पंचायत की सीमा में नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित/स्थापित स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर खड़ा करके सवारी/माल नहीं उतारेगा और न ही चढ़ायेगा और ना ही खड़ा करेगा।

स्पष्टीकरण–(1) उपरोक्त वर्णित ऐसे वाहनों पर उक्त नियम प्रभावी नहीं होगा जिस वाहन को कोई व्यक्ति न चलने की अवस्था में अपने निजी भवन/भूमि पर खड़ा करता है।

(2) उपरोक्त वर्णित नियम किसी स्त्री, अस्वस्थ अथवा अपाहिज पुरुष को उतारने या बैठाने या किसी सामान को रखने व उतारने के लिये निर्धारित/स्थापित स्थान से अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर थोड़े समय के लिये खड़ा करता हैं उस पर भी यह नियम प्रभावी नहीं होगा परन्तु शर्त यह है कि ऐसा वाहन किसी ऐसे स्थान पर नहीं खड़ा किया जायेगा जिससे आम रास्ते पर आवागमन में कोई रुकावट उत्पन्न होती हो।

4–कोई भी व्यक्ति को अपने निजी भवन/भूमि पर नगर पंचायत की अनुज्ञा के बिना कोई स्डैण्ड/पार्किंग बनाकर आय अर्जित नहीं करेगा।

5–नगर पंचायत अपनी सीमा के अन्दर अलग-अलग वाहनों के लिये कोई एक या एक से अधिक स्थल निर्धारित करेगी जिसे वाहन के प्रचलित नाम के अनुसार स्टैण्ड (अड्डा) कहा जायेगा।

6–नगर पंचायत द्वारा स्थल/स्टैण्ड (अड्डा) पर वाहन खड़े करने के लिये निम्न प्रकार शुल्क लिया जायेगा–

	रु0
रिक्शा	10.00.
बैट्री रिक्शा/ऑटो	20.00
तॉगा	10.00
छोटे चार पहिये के वाहन/टैम्पो	30.00
बड़े वाहन (बस, ट्रक, मैटाडोर आदि)	100.00

उपरोक्त शुल्क समस्त वाहनों के लिये कुल एक दिन के लिये होगा तथा एक दिन की गणना रात्रि 12 बजे से प्रारम्भ होकर अगले दिन रात्रि 12 बजे तक होगी तथा इसमें कोई भी व्यक्ति अपने वाहन एक बार से अधिक बार भी खड़ा करता है तब उसका शुल्क केवल एक बार ही देय होगा।

7–उपरोक्त शुल्क का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में नगर पंचायत बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

8–नगर पंचायत के द्वारा स्टैण्ड (अड्डा) शुल्क वसूल करने हेतु बोर्ड/प्रभारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार एक या अधिक ठेके छोड़ें जायेंगे परन्तु यदि किसी कारण वश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका/ठेकें न दें सकें तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकेगा।

9–ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्ही कारण वश ठेका 01 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

10–ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है। जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

11–ठेकेदार जिसे उपरोक्त स्टैण्ड (अड्डा) में शुल्क वसूली का ठेका दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा।

12–ठेके की अन्य शर्तें नगर पंचायत/प्रभारी अधिकारी के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

13–ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगर पंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया जायेगा जिसको नगर पंचायत के द्वारा पूरे वित्तीय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

14–ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी स्टैण्ड (अड्डा) पर एक रजिस्टर रखेगा जिसमें प्रतिदिन लाये गये वाहनों का विवरण व प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगर पंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगर पंचायत में कम से कम 3 वर्षों के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।

15–नगर पंचायत के द्वारा स्थापित/स्वीकृत स्टैण्ड (अड्डा) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर वाहन को खड़ा करके सवारी/समान उतारने चढ़ाने की स्थिति में (उपनियम 3 में दिये गये स्पष्टीकरणों के अतिरिक्त) नगर पंचायत को ऐसे वाहन के सम्बन्ध में जुर्माना करने का अधिकार होगा जो कि अधिकतम रु0 1,000.00 तक हो सकता है तथा यदि ऐसा कार्य एक से अधिक बार किया जाये तब पूर्व के जुर्माने की राशि से दो गुना तक हो सकता है जुर्माने के सम्बन्ध में निर्णय नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत के द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के द्वारा किया जायेगा।

16–नगर पंचायत द्वारा निर्धारित/निर्मित किये गये स्थल/स्टैण्ड (अड्डा) पर सफाई, मूत्रालय, शौचालय, यात्रियों के बैठने के शेड, कुर्सीयां आदि (जैसी भी आवश्यकता हो) एवं अन्य मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को उलब्ध करवाई कराई जायेंगी।

17–नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगर पालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध हो, ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

18–कोई व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी/अध्यासी हो भूमि अथवा भवन जो कि नगर पंचायत पहासू की सीमा के अन्दर हो, का इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करके अन्य लोगों के वाहनों की व्यवसायिक पार्किंग के लिये करता है को अपने इस कार्य के लिये नगर पंचायत से अनुज्ञा प्राप्त करनी आवश्यक होगी जो कि निम्न प्रक्रिया के तहत दी जायेगी–

(1) अनुज्ञा (लाईसेन्स) लेने के लिये स्थल के स्वामी/अध्यासी को नगर पंचायत में अपने स्थल के स्वामित्व/अध्यासन से सम्बन्धित अभिलेख प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

(2) किसी अवैध कब्जेदार को इस उपविधि के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान नही की जायेगी।

(3) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये स्वामी/अध्यासी को नगर पंचायत में यह विवरण देना होगा कि उसके भवन/भूमि में कितने वाहन और किस प्रकार के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है।

(4) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये स्वामी/अध्यासी को नगर पंचायत में यह विवरण देना होगा कि उसके द्वारा अपने भवन/भूमि में वाहन खड़े करने के लिये कितना-कितना शुल्क वाहनों के लिये निर्धारित कर रखा है।

(5) किसी ऐसे भवन/भूमि पर निजी व्यवसायिक पार्किंग निर्मित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जहां पर वाहनों के आने-जाने के लिये मार्ग अपर्याप्त और संकरा हो और ऐसे स्थान पर हो जहां पर वाहनों के आने-जाने में यातायात अवरुद्ध होता हो।

(6) नगर पंचायत के द्वारा ऐसे भवन/भूमि पर निजी पार्किंग के लिये अनुज्ञा देने से पूर्व नगर पंचायत के कर्मचारी (जिसे नियत किया जाये) के द्वारा मौके का निरीक्षण किया जायेगा और उपरोक्त के सम्बन्ध में अपनी आख्या नगर पंचायत में दी जायेगी उससे सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही नगर पंचायत के द्वारा अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी–

(अ) अनुज्ञप्ति धारक अपने यहां खड़े होने वाले प्रत्येक वाहन का विवरण निर्धारित प्रारूप में एक रजिस्टर में अंकित करेगा।

(ब) अनुज्ञप्ति धारक अपने यहां खड़े किये जाने वाले वाहनों के पंजीकरण के अभिलेख की छायाप्रति एवं वाहन स्वामी का फोटो व आई0 डी0 को अपने पास सुरक्षित रखेगा।

(स) अनुज्ञप्ति धारक अग्नि शमन के पर्याप्त इन्तजात रखेगा और अग्नि शमन विभाग से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त करेगा।

(द) अनुज्ञप्ति धारक वाहनों की सुरक्षा के लिये गेट आदि लगाकर पर्याप्त इन्तजाम करेगा और यदि किसी वाहन में अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति के कारण से कोई हानि होती है तब उसकी जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति धारक की होगी नगर पंचायत का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

(य) अनुज्ञप्ति धारक किसी अवैध वाहन या वाहन में अवैध सामान को अपने यहां खड़ा नहीं करवायेगा और यदि उसकी जानकारी के बिना ऐसा कोई वाहन उसके स्थल पर खड़ा हो जाता है तब जानकारी होने पर पुलिस को इस सम्बन्ध में सूचित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्ति धारक की होगी।

(र) रात्रि में अनुज्ञप्ति व्यक्ति को कार्यस्थल पर पर्याप्त रोशनी का प्रबन्ध करना होगा।

(ल) अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले शासन/प्रशासन के नियमों का पालन करना होगा।

(स) अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति के द्वारा यदि किसी शर्त को भंग किया जाता है तब अनुज्ञप्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण—उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें नगर पंचायत/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नियत की जा सकेंगी।

(8) अनुज्ञप्ति प्रदान करने का शुल्क कम से कम रु0 1,000.00 प्रतिवर्ष या खड़े होने वाले वाहनों से प्राप्त वार्षिक शुल्क को 5 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) देय होगा।

(9) अनुज्ञप्ति का शुल्क गृहकर/जलकर व अन्य देय करों के अतिरिक्त होगा।

(10) अनुज्ञप्ति केवल एक वित्तीय वर्ष के लिये दी जायेगी तथा अगले वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के लिये वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व आवेदन करना होगा और नवीनीकरण पूर्व शर्तों व अन्य नई शर्तों (जो आरोपित की जाये) के अधीन होगा तथा नवीनीकरण शुल्क भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के शुल्क के बराबर ही होगा।

(11) इस उपविधि के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञा-पत्र (लाईसेन्स) किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्तांतरित करता है अथवा अनुज्ञप्ति धारक की मृत्यु हो जाती है अथवा वह कार्य करने योग्य ना रहता है तब ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसके नाम अनुज्ञप्ति धारक को हस्तान्तरित करता है अथवा उसका उत्तराधिकारी हस्तान्तरण अथवा मृत्यु जैसी भी स्थिति हो 15 दिवस के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी से लिखित आवेदन करेगा, अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी ऐसा आवेदन की प्राप्ति के उपरान्त नियत शुल्क लेकर हस्तान्तरण/उत्तराधिकार दर्ज करेगा।

(12) उपनियम (11) के अन्तर्गत हस्तान्तरण की दशा में हस्तान्तरण शुल्क अनुज्ञा शुल्क का 1/2 होगा परन्तु उत्तराधिकार की दशा में शुल्क अनुज्ञा शुल्क का 1/4 देय होगा।

(13) जब भी कोई अनुज्ञप्ति व्यक्ति कार्य बन्द कर दे तो वह इसकी लिखित सूचना 15 दिवस के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को देगा जो इस उपविधि में किए गए प्राविधान के अनुसार इस प्रकार के कार्य बन्द करने की सूचना को रजिस्टर में अंकित करा देगा।

(14) अनुज्ञा (लाईसेन्स) प्रदान करने के पश्चात् भी नगर पंचायत अपने कर्मचारियों के माध्यम से निजी व्यवसायिक पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करती रहेगी और कोई अनियमितता होने की स्थिति में निर्धारित समय से पूर्व अनुज्ञा (लाईसेन्स) निरस्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

(15) अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को किसी भी ऐसे अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा जो धोखे से प्राप्त किया गया हो परन्तु अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को निरस्त करने से पूर्व अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करना आवश्यक होगा, परन्तु अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को यह अधिकार होगा कि सुनवाई होने तक अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को स्थगित कर दे, परन्तु अनुज्ञा-

पत्र/लाईसेन्स को अधिकतम 15 दिवस तक ही स्थगित करने का अधिकार अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को होगा, परन्तु यदि निर्धारित अवधि में अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स धारक के द्वारा अपना जवाब/स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तथा सुनवाई में देरी की जाती है तब 15 दिवस के पश्चात् भी अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को स्थगित किया जा सकता है अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा कि ऐसे किसी भी प्रकरण में यथासम्भव 15 दिवस के अन्दर अपना निर्णय लें यदि उक्त अवधि के अन्दर अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तब उस कारण का पृष्ठांकन अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी को करना आवश्यक होगा।

(16) प्रत्येक अनुज्ञप्ति (लाईसेन्स धारी) व्यक्ति को अनुज्ञा प्रदान करते समय अनुज्ञा-पत्र दिया जायेगा जिस पर वर्ष व लाईसेंस का नम्बर अंकित होगा अनुज्ञा-पत्र/लाईसेन्स को हर समय अनुज्ञप्ति व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर रखना अनिवार्य होगा।

(17) यदि कोई व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये इस प्रकार का कार्य करता है, तब उसके विरुद्व नगर पंचायत को कार्यवाही करने का अधिकार होगा तथा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही भी की जा सकती है और अनुज्ञा शुल्क का 10 गुना तक जुर्माना प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा जिसका निर्णय अनुज्ञा (लाईसेन्स) अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

19—यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

20—उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धित उपविधियॉ

सं0 122/न0पं0बी0बी0न0/2022-23—नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 291, 292, 293(1), 294, धारा 298(2) के शीर्षक (त्र) व धारा 299 के अधीन नगरपंचायत पहासू की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क प्राप्त करने सम्बन्धित निम्नवर्णित उपविधियों को नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा लागू किया जाता है जोकि दिनांक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी, से प्रभावी होंगी ।

उपविधियॉ

1—(1) यह उपविधि नगरपंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर की ''नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क '' प्राप्त करने की उपविधि कहलायेगी,

(2) यह सम्पूर्ण नगरपंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी,

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2—**परिभाषायें**—विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से हैं,

(2) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है,

(3) "चेयरपर्सन" से तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के चैयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है,

(4) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(5) "निरीक्षक" का तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो,

(6) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3–नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्दर सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक स्थान पर अस्थाई चबूतरा बनाकर, तख्ता लगाकर या किसी अन्य प्रकार से दुकान (ढकेल) आदि लगाकर सामान बेचेगा या चूल्हा आदि बनायेगा या अपने किसी अन्य कार्य के लिये अस्थाई तौर पर इस्तेमाल करेगा उस व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क दिन प्रतिदिन के अनुसार नगरपंचायत के द्वारा प्राप्त किया जायेगा जो कि मुख्य बाजारों में रु0 3.00 प्रतिवर्गफुट प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा तथा अन्य स्थानों पर रु0 2.00 प्रतिवर्ग फुट प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा परन्तु उक्त धनराशि किसी भी स्थिति में रु0 10.00 प्रतिदिन से कम नहीं होगी ।

4–नगरपंचायत के द्वारा उपरोक्त शुल्क प्राप्त करने का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि नगरपंचायत के द्वारा उस व्यक्ति से भूमि का कोई किराया प्राप्त किया जा रहा है और ना ही उसको इस इस्तेमाल शुल्क को अदा करने के आधार पर भूमि के सम्बन्ध में कोई अधिकार ही प्राप्त होंगे बल्कि नगरपंचायत के द्वारा केवल भूमि के अस्थाई इस्तेमाल शुल्क के रूप में उक्त शुल्क वसूल किया जायेगा ।

5–नगरपंचायत के द्वारा शुल्क प्राप्त करने के आधार पर उस व्यक्ति को स्थाई/अस्थाई निर्माण करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा ।

6–ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई निर्माण या फड़ आदि यदि सार्वजनिक मार्ग/भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तब ऐसी स्थिति में नगरपंचायत द्वारा ऐसे निर्माण या फड़ आदि को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार होगा और इस्तेमाल शुल्क प्राप्ति की रसीद के आधार पर आपत्ति करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं होगा ।

7–नगरपंचायत के द्वारा अपनी भूमि/सार्वजनिक भूमि का अस्थाई रूप से किसी कार्य के लिये इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से इस्तेमाल शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी ,प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है।

8–ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगा जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगा चाहे किन्ही कारणवश ठेका 01 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का अधिकार ना होगा।

9–ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगरपंचायत को होगा।

10–ठेकेदार अथवा नगर पंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) जिसे उपरोक्त शुल्क वसूली का ठेका/कार्य दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा।

11–ठेकेदार अथवा नगरपंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/ नगरपंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगरपंचायत कार्यालय में जमा किया जायेगा जिसकों नगरपंचायत के द्वारा पूरे वित्तिय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

12–नगरपंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगरपालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरुद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरुद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगरपंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

13–ठेके की अन्य शर्तें नगरपंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

14–नगरपंचायत के द्वारा उक्त शुल्क वसूली दिन प्रतिदिन के अनुसार वसूल करवाई जायेगी जो कि प्रत्येक दिन वसूल ना होने की स्थिति में एक से अधिक दिन की वसूली की जा सकती है और उसी प्रकार से वसूली की जा सकेगी परन्तु उक्त शुल्क दिन प्रतिदिन का शुल्क ही माना जायेगा ।

15–उक्त उपविधियां नगरपंचायत के द्वारा संचालित की जाने वाली साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगी साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में नगरपंचायत के द्वारा अलग से उपविधियां बनाई जायेंगी और साप्ताहिक पैंठ के ठेकेदार को इन उपविधियों के अर्न्तगत् नगरपंचायत के द्वारा शुल्क वसूल करने में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

16–यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध नगरपंचायत के द्वारा कार्यवाही करेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन रु0 1,000.00 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है ।

17–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगरपंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा ।

18–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्दर लगाये जाने वाले साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में उपविधियॉ

सं0 123/न0प0बी0बी0न0/2022-23–नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 291, 292, 293(1), 294, धारा 298(2) के शीर्षक (त्र) व धारा 299 के अधीन नगरपंचायत पहासू की सीमा के अन्दर लगाये जाने वाले साप्ताहिक बाजार से सम्बन्धित निम्नवर्णित उपविधियों को नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा लागू किया जाता है जोकि दिनांक 01 जनवरी, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी से प्रभावी होंगी।

उपविधियॉ

1–(1) यह उपविधि नगरपंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर की ''नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा में लगाये जाने वाले साप्ताहिक बाजार ''की उपविधि कहलायेगी,

(2) यह सम्पूर्ण नगरपंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी,

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2020 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में –

(1) "अधिनियम" से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2) सन् 1916 से है,

(2) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है,

(3) "चेयरपर्सन" से तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के चैयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है,

(4) "वर्ष" से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है,

(5) "निरीक्षक" का तात्पर्य नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा उपविधि के कार्य के सम्बन्ध में निरीक्षण के लिये नियुक्त किया गया हो,

(6) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3–नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा अपनी सीमा के अन्दर निर्धारित स्थान (जो कि नगरपंचायत के द्वारा निर्धारित किया जाये) सप्ताह के एक दिन सुविधानुसार (जिसे नगरपंचायत बोर्ड निर्धारित करेगा) साप्ताहिक बाजार लगाया जायेगा ।

4–साप्ताहिक बाजार में नगरपंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर व्यापारीयों को फड़ लगाकर अपना सामान विक्रय करने के लिये अस्थाई जगह उपलब्ध करवाई जायेगी जिसके लिये नगरपंचायत के द्वारा 5/–रु0 प्रतिवर्ग फुट की दर से शुल्क वसूल किया जायेगा परन्तु उक्त शुल्क किसी भी दशा में 30/–रु0 से कम नहीं होगा ।

5–नगरपंचायत के द्वारा जिस व्यापारी को एक सप्ताह जिस स्थान पर फड़ लगाकर सामान विक्रय करने की अनुमति दी जाती है यह आवश्यक नहीं कि अगले सप्ताह पुनः उसी व्यापारी को वही स्थान उपलब्ध करवाया जाये इस सम्बन्ध में किसी व्यापारी को आपत्ति/क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

6–साप्ताहिक बाजार में किसी भी व्यक्ति को कोई निर्माण स्थाई/अस्थाई रूप से करने का अधिकार नहीं होगा केवल धूप बारिश आदि से बचने के लिये तिरपाल आदि का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु इसमें नगरपंचायत की किसी सड़क, मार्ग, चबूतरे आदि को कोई हानि नहीं होनी चाहिये ।

7–यदि किसी व्यक्ति के द्वारा तिरपाल आदि को लगाने के लिये नगरपंचायत की किसी सड़क चबूतरे आदि को कोई हानि पहुंचाई जाती है तब ऐसी स्थिति में नगरपंचायत को उस व्यक्ति के द्वारा की गई हानि को सही करने में लगने वाली धनराशि से दोगुनी धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा ।

8–साप्ताहिक बाजार में किसी भी व्यक्ति को ऐसा स्थान फड़ लगाने के लिये उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा जिससे मार्ग अवरूद्ध होता हो ।

9–नगरपंचायत के द्वारा साप्ताहिक बाजार में शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगरपंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है ।

10–ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगा जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च, को समाप्त होगा चाहें किन्हीं कारणवश ठेका 01 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में कोई आपत्ति करने का अधिकार ना होगा ।

11–ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोड़ने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगरपंचायत को होगा ।

12–ठेकेदार अथवा नगरपंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) जिसे उपरोक्त शुल्क वसूली का ठेका/कार्य दिया गया हो वह उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूल नहीं करेगा ।

13–ठेकेदार अथवा नगरपंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो)निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगरंपचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगरपंचायत कार्यालय में जमा किया जायेगा जिसको नगरपंचायत के द्वारा पूरे वित्तिय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा ।

14–ठेकेदार अथवा नगरपंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो)सम्पूर्ण वसूली के विवरण को एक रजिस्टर में अंकित करेगा जिसमें भूमि/सम्पत्ति का विवरण व प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगरपंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगरपंचायत में कम से कम 3 वर्षों के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा ।

15–नगरपंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जो कि इस उपनियम अथवा नगरपालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के विरूद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरूद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति में नगरपंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा ।

16–ठेके की अन्य शर्तें नगरपंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेंगी ।

17–उक्त उपविधियां केवल साप्ताहिक बाजार के सम्बन्ध में लागू होंगी अन्य दिनों में नगरपंचायत की भूमि का अस्थाई इस्तेमाल करने का शुल्क वसूल करने के लिये नगरपंचायत के द्वारा अलग से उपविधियां बनाई जायेंगी और उन उपविधियों के अर्न्तगत् दिये गये ठेके के ठेकेदार को साप्ताहिक पैंठ में शुल्क वसूली करने का अधिकार नहीं होगा परन्तु दोनों ठेके किसी एक ठेकेदार को दिये जाने में कोई प्रतिबन्ध भी नहीं है ।

18–यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लंघन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरूद्ध नगरपंचायत के द्वारा कार्यवाही करेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन रु0 1,000.00 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है ।

19–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगरपंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

20–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगरपंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्तर्गत स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों पर ग्रहकर/जलकर का निर्धारण एवं वसूल करने के सम्बन्ध में निर्मित उपविधियॉ

सं0 124/न0प0बी0बी0न0/2022-23—नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत् निवासित व्यक्तियों की सुविधओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) व 128 व 131 व 140 से 147 व 160 के अर्न्तगत नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत् स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के गृहकर/जलकर का निर्धारण एवं वसूल करने के सम्बन्ध में निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा धारा 298 (2) नगरपालिका अधिनियम के अर्न्तगत लागू किया जाता है, जोकि दिनॉक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी से प्रभावी होगीं

उपविधियाँ

1—(1) यह उपविधि नगर पंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर के अर्न्तगत स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों का गृहकर/जलकर निर्धारण एवं वसूल करने की उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत होंगी,

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी।

2—परिभाषायें—विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(1) ''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, उपगृह, अस्तवज, छादक (शेड) झोंपड़ी या अन्य बाड़ा या ढॉचे से है, चाहें वह पक्की ईंट, लकड़ी, मिट्टी, धातु या चाहें किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहें उसका उपयोग मनुष्यों के रहने के लिये अथवा अन्यथा किया जाता हो और उसके अर्न्तगत कोई बरामदा, चबूतरा मकान की कुर्सी, जीना, देहली, दीवाल, जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनुलग्न ना हो, की चाहर दीवारी से भिन्न किसी आहते की दीवाल सम्मिलित है, किन्तु इसके अर्न्तगत कोई तम्बू या अन्य कोई ऐसी परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।

(2) ''अधिनियम'' से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(3) ''उपविधि'' का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है।

(4) ''अहाता'' का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि से है चाहे वह घिरी हुई हो अथवा नही जो किसी भवन से अनुलग्न हो या अनेक भवनों का सामान्य अनुलग्न हो।

(5) ''व्यवसायीक निर्माण'' से तात्पर्य उस निर्माण से है, जोकि व्यापार, उद्योग के सम्बंध में निर्मित किया गया हो।

(6) ''जनउपयोगी सेवा के निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जन कल्याण हेतु निर्मित किये जाये से होगा, जिसमे धार्मिक स्थान, धर्मशाला, वृद्ध आश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तितयों के लिये निर्मित आवास से है।

(7) ''शासकीय सम्पत्ति'' से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा मे किया गया हो जिसमे अस्पताल थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय के भवन भी शामिल है।

(8) ''अधिसूचना'' से तात्पर्य सरकारी गजट मे प्रकाशित अधिसूचना से है।

(9) ''विहित अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।

(10) ''नगर पंचायत का अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के चेयरपर्सन एवं अधिशासी अधिकारी से है।

(11) ''निर्धन व्यक्ति'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से जो कि गरीबी रेखा से नीचे निवास करता हो।

(12) वार्षिक किराया मूल्य की परिभाषा–(1) ''वार्षिक किराया मूल्य'' से तात्पर्य–

(क) रेलवे स्टेशनों, कॉलिजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वार्णिज्य भवनों और ऐसे अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, यथा स्थिति भवन के अच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासीक भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर मे नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले गुणक से गुणा करने पर प्राप्त का 12 गुना मूल्य से है।

(ख) खण्ड (क) के उपबंधो के अर्न्तगत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथा स्थिति, भवन की दशा में प्रति वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रति वर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर इस प्रकार होगी जैसी कि नगर पंचायत के अधिकारी के द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अव स्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर के द्वारा नियत सर्किल दर के आधार पर नियत किया जाये और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम किराया दर और ऐसे अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे विहित किये जाये।

प्रतिबन्ध–यह है कि जहां नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपयुक्त रीति से गणना की गई हो, अत्यधिक हो, वहां नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यापूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

स्पष्टीकरण–(1) वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेगी–

1. कक्ष–आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,
2. आच्छादित बरामदा आंतरिक अयाम की पूर्ण माप
3. बालकनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह–आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,
4. गैराज–आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप,
5. स्नानागार, शौचालयों, द्वारमण्डप और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण (2)–(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के प्रयोजनों के लिये किसी भवन का मानक किराया, अनुबन्धित किराया (मोबाईल टावर लगे भवन/भूमि छोड़कर) या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नही लिया जायेगा।

(2) जहां नगर पंचायत उक्त वार्षिक किराया मूल्य को कर निर्धारण के प्रयोजन के लिये इस्तेमाल करें वहां पर वार्षिक किराया मूल्य–

(क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो के 10 वर्ष से अनाधिक पुराना हो के मामले 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह दस वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 से अधिक पुराना न हो 32.5 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा और,

(ख) किराये पर दिये गये अनावासिक भवन, जो 10 वर्ष से अनाधिक पुराने हो, के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो जो उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन 10 वर्ष से कम के भवन के लिये अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण (3)–यदि किसी भवन अथवा भूमि में कोई मोबाईल टावर लगा हुआ है तब भवन की दशा में भवन के वार्षिक किराया मूल्य की गणना स्पष्टीकरण (1) के अनुसार की जायेगी तथा मोबाईल टावर के लिये भवन स्वामी से सम्बन्धित कम्पनी से हुये अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित वार्षिक किराये को गृहकर/जलकर निर्धारण के लिये वार्षिक किराया मूल्य माना जायेगा जो कि भवन के वार्षिक किराया मूल्य में जोड़ दिया जायेगा और यदि कोई मोबाईल टावर किसी खाली भूमि में लगा है ऐसी स्थिति में मोबाईल टावर के लिये भवन स्वामी से सम्बन्धित कम्पनी से हुये अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित वार्षिक किराये को गृहकर/जलकर निर्धारण के लिये वार्षिक किराया मूल्य माना जायेगा।

(13) ''कर समिति'' से तात्पर्य नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा गठित ऐसी समिति से हो जो कि कर निर्धारण के लिये नगर पंचायत के सभासदों में से गठित की गई हो परन्तु इस समिति में कोई ऐसा व्यक्ति भी सदस्य हो सकता है जो कि नगर पंचायत में सदस्य ना हो परन्तु नगर पंचायत की राय में इस कार्य को करने की विशेष अर्हता रखता हो और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नगर पंचायत बोर्ड के संकल्प द्वारा जिसका समर्थन बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के 1/2 सदस्यों जो कि बोर्ड के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों से कम ना हों के समर्थन से किया गया हो परन्तु ऐसे सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी और ऐसे सदस्य/सदस्यों को कार्य के लिये कोई भुगतान देय भी नही होगा और ना ही उसकी नियुक्ति समिति के अध्यक्ष के रूप में ही की जा सकती है।

(14) ''कर समिति के अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा गठित करसमिति सभासदों मे से अध्यक्ष के रूप में नामांकित किये गये सभासद से है, परन्तु यहाँ पर कर समिति के अध्यक्ष से तात्पर्य नगर पंचायत के चेयरपर्सन से नही है परन्तु नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा चेयरपर्सन नगरपंचायत को कर समिति के अध्यक्ष के रूप मे नामांकित किया जा सकता है।

3–कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना-भवन या भूमि दोनों पर कर आरोपित किये जाने की दशा में समय-समय पर नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग में स्थित किसी भवनों या भूमि दोनों की एक कर निर्धारण सूची तैयार की जायेगी, जिसमे मार्ग या मोहल्ले का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित हो तथा सम्पत्ति की संख्या जिससे उसकी पहचान हो सके व स्वामी व अध्यासी का नाम यदि ज्ञात हो तथा पट्टे पर देने का वार्षिक मूल्य या अन्य विवरण जो वार्षिक मूल्य अवधारित करे व उसपर निर्धारित की गई कर की धनराशि का विवरण तैयार किया जायेगा।

4–कर निर्धारण सूची तैयार करते समय प्रति वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया आवासीय भवन/भूमि की दशा में रु0 0.50 प्रतिवर्ग फुट एवं व्यवसायिक भवन/भूमि की दशा में रु0 1.00 प्रतिवर्ग फुट निर्धारित की जायेगी और उसी के अनुसार वार्षिक किराया मूल्य की गणना की जायेगी तथा उक्त गणना भवन के प्रत्येक मंजिल के लिये अलग-अलग की जायेगी। परन्तु भवन/भूमि जो कि नगर के ऐसे स्थान पर हैं जो कि विकास में पिछड़े हुये क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्र में गणना आवासीय भवन/भूमि की दशा में रु0 0.30 प्रतिवर्ग फुट एवं व्यवसायिक भवन/भूमि की दशा में रु0 0.50 प्रतिवर्ग फुट से गणना की जायेगी परन्तु उक्त कर की राशि का नवीनीकरण प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है।

5–स्वनिर्धारण द्वारा भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर जमा करने पर विकल्प–इस उपविधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी किसी भवन के समबन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी की निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह उपनियम 2 में वर्णित नियम के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाये जमा कर सकता है।

6–कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमि के विवरणों का प्रस्तुत किया जाना–

(1) वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन या भूमि का स्वामी या अध्यासी उस दिनांक तक उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाये।

(2) बिना समुचित कारण के उपनियम (1) में विर्निदिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल कोई व्यक्ति यथाविहित शास्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन अधिशासी अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है।

7–सूची का प्रकाशन–कर निर्धारण सूची को तैयार करने के पश्चात् नगर पंचायत के सम्बन्ध में नगर पंचायत कार्यालय पर सार्वजनिक नोटिस दिया जायेगा जिस पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका कि नाम उस सूची में सम्मिलित है को अपना अध्यासी या स्वामी होने का दावा कर सकेगा इस सूची का निरीक्षण करने का अधिकार निःशुल्क उस व्यक्ति या उसके अभिकर्ता को होगा।

8–सूची में पृविष्टीयों पर आपत्ति के लिये नगर पंचायत कम से कम एक माह का नोटिस देगी जिसके पश्चात् सूची में प्रविष्ट मूल्यांकन या कर निर्धारण पर विचार करने की कार्यवाही की जायेगी।

9–मूल्यांकन व कर निर्धारण के सम्बन्ध में सभी आपत्तियाँ नोटिस में निश्चित दिनांक से पूर्व नगर पंचायत को लिखित आवेदन के द्वारा की जायेगी आपत्तियों का निस्तारण बोर्ड के द्वारा नियुक्त कर समिति, चैयरमैन व अधिशासी अधिकारी के द्वारा निर्णित की जायेगी लेकिन अन्तिम सूची कर समिति के द्वारा तैयार की जायेगी।

10–प्रत्येक कर निर्धारण सूची आगामी पाँच वर्षों के लिये तैयार की जायेगी।

11–सूची में संशोधन व परिवर्तन नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 147 के अर्न्तगत् किया जा सकेगा।

12–वार्षिक मूल्य के आधार पर निर्धारित कर को अदा करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी/अध्यासी की होगी तथा कर निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अर्न्तगत् दिये गये प्रावधानों के अर्न्तगत् प्रस्तुत की जा सकेगी।

13–'गृहकर' कर समिति के द्वारा किसी भवन या भूमि के निर्धारित 'वार्षिक किराया मूल्य' के 10 प्रतिशत के बराबर होगा तथा 'जलकर' भी निर्धारित किये गये वार्षिक किराया मूल्य के बराबर ही होगा परन्तु ऐसे भवन जिसे जल मूल्य प्राप्त किया जा रहा है उस स्थिति में जल कर की राशि को जल मूल्य में समायोजित कर दिया जायेगा।

14–कर निर्धारण सूची अन्तिम होने के पश्चात् भवन के स्वामी को कर की माँग का नोटिस जारी किया जायेगा और भुगतान ना होने की दशा में उस धन की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

15–जलकर के अधिरोपण पर निर्बधन-निम्न वर्णित भूमि/भवन पर जलकर नही लगाया जायेगा–

(1) किसी ऐसी भूमि पर जिसका उपयोग एकमात्र कृषि प्रयोजन के लिये किया जाता हो जब तक कि नगरपंचायत के द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये जल सम्भरित न किया जाये, या

(2) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका वार्षिक मूल्य तीन सौ साठ रुपये से अधिक न हो और जिसे नगरपंचायत के द्वारा जल सम्भरित न किया जाता हो, या

(3) किसी ऐसे भू-खण्ड या भवन पर जिसका कोई भाग निकटतम नल या जलकल से जहां पर जनता को नगर पंचायत के द्वारा जल उपलब्ध करवाया जाता हो उसके 200 फुट के अर्द्धव्यास के भीतर न हो।

स्पष्टीकरण–परन्तु यदि किसी भवन के स्वामी/अध्यासी के द्वारा जल संयोजन ना भी लिया गया हो तब भी नियमानुसार जलकर अदा करने की जिम्मेदारी भवन के स्वामी/अध्यासी की होगी और इस सम्बन्ध में आपत्ति करने को कोई अधिकार भवन के स्वामी/अध्यासी को नही होगा।

16–भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर उद्ग्रहण– भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उद्ग्रहण नगर पंचायत की सीमा में स्थित निम्नलिखित को छोड़कर समस्त भवनों और भूमि के सम्बन्ध में किया जायेगा।

(1) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि,

(2) भवनों और भूमि या उनके भाग, जिनका अधिभोग और उपभोग अनन्य रूप से सार्वजनिक पूजा या धर्माथ प्रयोजनों, अनुसंधान एवं विकास के सहकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के मैदान, कृषि क्षेत्र और उद्यान, सरकारी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के खेल के मैदान या क्रीड़ा स्टेडियम के लिये किया जाता हो।

(3) भवन जिसका उपयोग अन्य रूप से विद्यालय या इण्टरमीडिएट कॉलेज के रूप में किया जाता हो, चाहें वे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हों अथवा न हों,

(4) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हों,

(5) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहां के जहां भारत का सविधान के अनुच्छेद 285 खण्ड (2) के उपबन्ध लागू होते हैं।

(6) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासिक भवन जो तीस वर्ग मीटर के माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड पर निर्मित हों परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत सीमा के अर्न्तगत कोई अन्य भवन न हो,

(7) भवन स्वामी द्वारा अध्यसित अवासिक भवन जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जिसे पांच वर्ष के भीतर नगर पंचायत की सीमा के भीतर सम्मलित कर लिया गया हो या जहां उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल, और मार्ग प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी हो, इनमें जो भी पहले हो।

स्पष्टीकरण–उपनियम (2), (3) (4) व (5) में वर्णित भवनों के उस भाग के लिये वार्षिक मूल्य निर्धारण से छूट नहीं होगी जहां भवन के किसी भाग में कोई व्यवसायिक कार्य जैसे दुकान, कैन्टीन, आदि संचालित होती हो ऐसी स्थिति केवल भवन के उस भाग जिसमें व्यवसायिक कार्य जैसे दुकान, कैन्टीन, आदि संचालित होंती हैं का वार्षिक मूल्य उपनियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा और उस पर गृहकर/जलकर यथानुसार देय होगा।

17–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

18–उक्त उपविधियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अर्न्तगत् दिये गये प्रावधान लागू माने जायेंगे।

19–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमो के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने से सम्बन्धित उपविधियाँ

सं0 125/न0प0बी0बी0न0/2022-23–नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अर्न्तगत् निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 294 व धारा 298(2) व धारा 299 के अधीन ''नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' के सम्बन्ध मे निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा लागू किया जाता है, जोकि दिनांक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी से प्रभावी होगी।

उपविधियाँ

1–(1) यह उपविधियाँ नगर पंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर की ''नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा के अन्दर विज्ञापन/प्रचार किये जाने'' की उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत होंगी,

(3) यह उपविधि 01 नवमबर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषायें—विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में—

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से है,

(2) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है,

(3) ''चेयरपर्सन'' से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के चेयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(4) ''अनुज्ञा'' का अभिप्राय इस उपविधि के अधीन प्रदत्त ''अनुज्ञा'' से है।

(5) ''वर्ष'' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है,

(6) ''अनुज्ञा (लाइसेन्स) अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी से है,

(7) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अर्न्तगत निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया हो,

(8) ''विज्ञापन/प्रचार'' से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर की सीमा में किसी भी माध्यम से किये जा रहे विज्ञापन/प्रचार से है जिसमें होर्डिग, बैनर, कटआउट, लोकल टी0 वी0 के माध्यम से, ध्वनि विस्तारक यन्त्र से, पम्पलेट/पर्चे चाहें व दीवारों पर चिपकाये जायें अथवा किसी समाचार-पत्र में रखकर बंटवाये जाये, दीवार पेन्टिंग आदि से है परन्तु इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यस्थल पर अपने कार्यस्थल की सीमा में बोर्ड होर्डिंग दीवार पेन्टिंग लगा अपने प्रतिष्ठान का नाम आदि लिखना शामिल नही है परन्तु अपने कार्यस्थल की सीमा से बाहर यदि कोई बोर्ड/होर्डिंग आदि लगाया जायेगा तब वह इस परिभाषा में आयेगा,

(9) ठेके का अर्थ प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य की उस अवधि से है जिसके लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन करके बोर्ड/प्रभारी अधिकारी के द्वारा नीलाम किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिए दिये गये हैं।

3—नगर पंचायत के द्वारा अपने क्षेत्र में विज्ञापन/प्रचार करने वाले व्यक्ति से विज्ञापन/प्रचार का शुल्क प्राप्त करेगी जो कि निम्न प्रकार लिया जायेगा—

	रु0
(1) होर्डिग/कटआउट से विज्ञापन/प्रचार करने में	5.00 प्रतिवर्ग फुट (एक माह के लिये)
(2) बैनर से विज्ञापन/प्रचार करने की में	2.00 प्रतिवर्ग फुट (एकमाह के लिये)
(3) ग्लोसाईन बोर्ड से विज्ञापन/प्रचार करने में	10.00 प्रतिवर्ग फुट (एकमाह के लिये)
(4) दीवार पेन्टिग से विज्ञापन/प्रचार करने मे	2.00 प्रतिवर्ग फुट (एकमाह के लिये)
(5) 2 वर्ग फुट या बड़े पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	500.00 प्रति सौ पोस्टर
(6) 2 फुट से कम पोस्टर चिपकाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	200.00 प्रति सौ पोस्टर
(7) समाचार-पत्र में पर्चे निकलवाकर विज्ञापन/प्रचार करने में	100.00 प्रति हजार
(8) लोकल टी.वी. पर स्लाईड लगाकर विज्ञापन/प्रचार करने मे	500.00 (प्रतिमाह)
(9) ध्वनि विस्तारक यन्त्र से विज्ञापन/प्रचार करने में	100.00 प्रतिदिन

उपरोक्त दर नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में नगरपंचायत की बोर्ड के द्वारा या प्राप्त शासनादेश के अनुसार अधिशासी अधिकारी/चेयरपर्सन/प्रभारी अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–(1) उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी अन्य माध्यम से प्रचार/विज्ञापन किया जाता है तब उसका शुल्क निर्धारित करने का अधिकार नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को होगा।

(2) उपरोक्त शुल्क केवल विज्ञापन/प्रचार का शुल्क है इसमें विज्ञापन/प्रचार सामग्री को निर्मित करने का कोई शुल्क नही है उक्त निर्माण का व्यय स्वयं पक्षकार के द्वारा वहन किया जायेगा।

4–नगर पंचायत के द्वारा विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली के लिये नियमानुसार प्रकाशन/विज्ञापन आदि करके ठेका छोड़ा जायेगा परन्तु यदि किसी कारणवश नगर पंचायत बोर्ड अथवा प्रभारी अधिकारी ठेका न दे सके तो बोर्ड अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त शुल्क वसूली के लिये किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारीयों को नियुक्त किया जा सकता है।

5–ठेके की म्याद अधिकतम एक वर्ष के लिये होगी जो कि प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च को समाप्त होगी चाहें किन्ही कारणवश ठेका 01 अप्रैल के स्थान पर कुछ समय पश्चात् ही क्यों ना छोड़ा गया हो इस सम्बन्ध में ठेकेदार को समय के सम्बन्ध में आपत्ति करने का कोई अधिकार ना होगा।

6–ठेकेदार को ठेका लेने के 15 दिवस के अन्दर शासनादेश के अनुरूप अनुबन्ध का पंजीकरण निर्धारित शुल्क पर करवाया जाना आवश्यक है जिसमें होने वाले समस्त व्यय को अदा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी अनुबन्ध का पंजीकरण ना करवाये जाने की स्थिति में ठेका पंजीकरण के लिये निर्धारित की गई समयावधि 15 दिवस समाप्त होने के पश्चात् स्वतः ही समाप्त हो जायेगा जिसके लिये निरस्तीकरण के किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होगी तथा पुनः ठेका छोडने में होने वाली हानि को पूर्व ठेकेदार से वसूल करने का अधिकार नगरपंचायत को होगा।

7–ठेकेदार ठेके की राशि के 1/4 भाग को ठेका लेते समय ही नगरपंचायत में जमा करेगा तथा शेष 3/4 धनराशि तीन किश्तो में क्रमशः 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी तक प्रत्येक स्थिति में जमा करेगा नगरपंचायत कार्यालय में जमा करेगा।

8–ठेके की अन्य शर्ते नगरपंचायत के द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9–ठेकेदार अथवा नगरपंचायत कर्मचारी (जैसी भी स्थिति हो) उपरोक्त विज्ञापन/प्रचार की शुल्क वसूली उपरोक्त निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त वसूल नही करेगा।

10–ठेकेदार अथवा नगरपंचायत कर्मचारी निर्धारित प्रारूप में छपी हुई शुल्क की रसीद का ही इस्तेमाल करेगा और प्रत्येक रसीद पर क्रमांक अंकित होगा और रसीद बुक पूर्ण होने के बाद ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी रसीद बुक को नगरपंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसको नगरपंचायत के द्वारा पूरे वित्तिय वर्ष में सम्भाल कर रखा जायेगा।

11–ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी वसूली के लिये एक रजिस्टर भी रखेगा जिसमें प्राप्त शुल्क आदि अंकित किया जायेगा रजिस्टर पूर्ण होने के बाद ठेकदार/कर्मचारी रजिस्टर को नगरपंचायत कार्यालय में जमा करेगा जिसे नगरपंचायत में कम से कम 3 वर्षो के लिये सम्भाल कर रखा जायेगा।

12–ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी किसी निजि सम्पत्ति पर सम्पत्ति के स्वामी की सहमति के बिना विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे।

13–ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी किसी ऐसे स्थान पर विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट, ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे जिससे मार्ग अवरूद्ध हो रहा हो अथवा आम जनता को कोई असुविधा हो रही हो अथवा स्थल का सौन्दर्य खराब हो रहा हो।

14–ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी ऐसी सम्पत्ति पर भी विज्ञापन/प्रचार के लिये होर्डिंग/कटआउट ग्लोसाईन बोर्ड, बैनर पर्चे आदि लगाने के लिये अनुमति नही देंगे जिसपर आम जनता के द्वारा आपत्ति की जा रही हो।

15–ठेकेदार/नगरपंचायत कर्मचारी ऐसे किसी भी प्रचार/विज्ञापन की अनुमति नही देंगे जो कि भ्रामक, भडकावे वाला अथवा अन्य किसी प्रकार से अनैतिक, अश्लील अथवा कानून के विरूद्ध हो।

16–ध्वनि प्रसारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन अनुमति केवल दिन के 10 बजे से रात्रि के 8 बजे तक ही दी जायेगी। परन्तु परीक्षा के दिनों में अथवा ऐसे दिनों में जिसमे इस प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार/विज्ञापन की अनुमति देना उचित ना हो न दी जायेगी।

17–केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पंचायत के द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिये किये गये विज्ञापन/प्रचार एवं ऐसे विज्ञापन/प्रचार जो किसी गुमशुदा की तलाश अथवा किसी सामाजिक उत्थान व समाज सेवा आदि के लिये बिना किसी लाभ के लिये किये जा रहे हो के लिये कोई शुल्क देय नही होगा।

18–नगर पंचायत के द्वारा छोड़े गये ठेके के ठेकेदार के द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल किया जाता है अथवा अन्य ऐसा कोई कार्य किया जाता है जोकि इस उपनियम अथवा नगर पालिका अधिनियम मे दिये गये प्रावधानों के विरूद्ध हो अथवा ठेकेदार के द्वारा कोई अनैतिक अथवा कानून के विरूद्ध कार्य किया जाता है तब ऐसी स्थिति मे नगर पंचायत को ठेके की अवधि समाप्त होने से पूर्व ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

19–यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्ही उपवंधो अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्ही अपेक्षाओ अथवा आभारो का उल्घन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन मे हस्तक्षेप करता है या बांधा डालता है तो उसके विरूद्ध नगर पंचायत के द्वारा कार्यवाही की जायेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जोकि नगर पालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन रु0 1,000.00 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जायेगा जोकि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकता है।

20–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संसोधन नगर पंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

21–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरित कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुऐ भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरित उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

05 नवम्बर, 2020 ई0

नगर पंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर की सीमाओं सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने मच्छर जनक स्थितियां पैदा करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की उपविधियाँ

सं0 126/न0प0बी0बी0न0/2022-23–नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के अर्न्तगत् निवासित व्यक्तियों की सुविधाओं में अभिवृद्धि उनके अनुरक्षण व उनके स्तर में अभिवृद्धि के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 6433/नौ-1-96 नगर विकास अनुभाग-1 दिनांक 07 नवम्बर, 1996 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 293-ख, 296 सपठित धारा 298(2) सूची 1 (ख) (छ) (ज) (झ) एवं धारा 299 के अर्न्तगत ''सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने एवं मच्छरजनक स्थितियाँ पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही'' करने के सम्बन्ध में निम्नवर्णित उपविधियों को नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा लागू किया जाता है, जो कि दिनाँक 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवत्त होगी से प्रभावी होगीं।

उपविधियाँ

1–(1) यह उपविधियाँ नगर पंचायत भवन बहादुर नगर जनपद बुलन्दशहर की ''सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने एवं मच्छरजनक स्थितियाँ पैदा करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही'' की उपविधि कहलायेगी।

(2) यह सम्पूर्ण नगर पंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में प्रवृत्त होंगी,

(3) यह उपविधि 01 नवम्बर, 2019 अथवा प्रख्यापित किये जाने की दिनांक, (जो भी बाद में हो) से प्रवृत्त होगी।

2–परिभाषायें–विषय प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(1) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 से है,

(2) ''अधिशासी अधिकारी'' से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के अधिशासी अधिकारी से है,

(3) ''चेयरपर्सन'' से तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के चेयरपर्सन/प्रशासनिक अधिकारी से है।

(4) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के ऐसे कर्मचारी से है जिसे नगर पंचायत भवन बहादुर नगर के बोर्ड, अध्यक्ष अथवा प्रभारी अधिकारी द्वारा इस उपविधि के अर्न्तगत निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया हो,

स्पष्टीकरण–ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होंगे जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उनके लिये दिए गये है।

3–प्रतिषेध–कोई भी व्यक्ति नगरपंचायत भवन बहादुर नगर क्षेत्र में–

(1) नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित/स्थापित कूड़ा स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कूड़ा नहीं फेकेगा।

(2) किसी स्थान पर (चाहें वह उसका स्वयं का निजि स्थान ही क्यो न हो) कूड़ा, पानी या गोबर आदि को ऐसे जमा नही होने देगा या बहने नही देगा जिसमें मच्छर अपना प्रजनन (ब्रीडिग) कर सकें या उसमें प्रजनन करने की सम्भावना हो,

(3) ना तो खुद कूड़ा, पानी या गोबर आदि हानिकारक एवं सन्तापकारी पदार्थ जमा होने देगा और न ही दूसरे को ऐसा करने की अनुमति देगा और न किसी भी प्रकार से कूड़ा, पानी, गोबर आदि पदार्थ को जमा या संचित होने देगा जिसमें मच्छर पैदा होते हों या उनके पैदा होने की सम्भावना हो। ऐसा वह केवल उसी स्थिति में होने देगा जब उस पानी या ऐसे पदार्थ का इस प्रकार उपचार (ट्रीटमेन्ट) हो गया हो कि उसमें मच्छर पैदा न हो पायें।

4–अभिज्ञापन–किसी भी स्थिर पानी या बहते पानी के जल निकाय (वाटर बॉडी) अथवा ऐसे हानिकारक/सन्तापकारी पदार्थ स्थल में स्थल में यदि लार्वे पाये जायें जो वह इस बात के प्रमाण होंगे कि उस पानी में मच्छरों की ब्रीडिंग हो रही है।

5–मच्छरों के प्रजनन स्थलों (ब्रीडिंग प्लेसेज) का कीटनाशकों से उपचार–

(1) अधिशासी अधिकारी/नगर स्वास्थय अधिकारी अथवा नगर पंचायत के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी जिन रुके हुये या बहते हुये पानी अथवा ऐसे हानिकारक/सन्तापकारी पदार्थ के संग्रह के स्थनों में जहां मच्छर पनप रहे हों या उनके पनपने की सम्भावना हो उन सभी के स्वामियों/अधिभोगियों को लिखित नोटिस द्वारा सूचित करके निर्दिष्ट समय में (चौबीस घंटो से कम नही) भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक किसी भी विधि से या अन्य किसी ऐसे उपयुक्त उपाय से जिसे अधिशासी अधिकारी/नगर स्वास्थय अधिकारी अथवा नगरपंचायत के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी उचित समझता हो उन प्रजनन स्थलों की उपचारिता (ट्रीट) करवायेगा और यदि इस प्रकार का उपचार (ट्रीटमेन्ट) स्वामी/अधिभागी के कारण करवाना पड़ा हो तब ऐसी स्थिति में ऐसे उपचार (ट्रीटमेन्ट) में होने वाले व्यय को स्वामी/अधिभोगी से वसूल किया जायेगा।

(2) यदि उपविधि 5 (1) के अधीन नोटिस किसी अधिभागी, किरायेदार, लीज आदि पर आवास आदि लेने वाले को दिया जाता है और उक्त उपविधि 5 (1) में वर्णित रुका हुआ या बहता हुआ पानी अथवा ऐसे हानिकारक/सन्तापकारी पदार्थ के संग्रह के स्थानों में जहां मच्छर पनप रहे हों या उनके पनपने की सम्भावना हो उसके किराये, लीज पर लेने से पूर्व का हो तो ऐसे अधिभोगी, किरायेदार, लीज आदि पर आवास आदि लेने वाले व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित आवास आदि के मालिक से उसके द्वारा नोटिस में बताये गये उपायों पर खर्च की गई धपराशि को प्राप्त कर ले अथवा उस किराये में से काट ले जो उसे मकान मालिक को देना है।

6–व्यातिक्रम अथवा चूक पर कार्यवाही–यदि उपविधि 5 (1) के अर्न्तगत् वह व्यक्ति जिस पर नोटिस जारी किया गया है बताये गये उपाय करने से इन्कार कर दे या नोटिस में विहित उपचार निर्दिष्ट समय में नही करवाता है। तब अधिशासी अधिकारी/नगर स्वास्थय अधिकारी अथवा नगरपंचायत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी उक्त उपाय को स्वयं करवा सकता है और इसका खर्चा यथास्थिति मालिक या किरायेदार से इस प्रकार वसूल कर सकता है मानो वह सम्पत्ति कर का बकाया है।

7–मच्छर रोधी संरचानाएं (कीट सुरक्षा)– किसी भी जमीन पर या भवन में मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिये स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निर्देश से अधिभोगी ने यदि कोई निर्माण कराया है तो अधिशासी अधिकारी उस जमीन या भवन का उपयोग किसी ऐसे काम के लिये रोक सकता है जो कि मच्छर रोधी इन संरचनाओ को नुकसान पहुँचाए या उसकी कार्य कुशलता मे गिरावट लाये।

8–मच्छर निवारण/नियंत्रण कार्य में दखलन्दाजी या हस्तक्षेप पर रोक–अधिशासी अधिकारी/नगर स्वास्थय अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्मित संरचना या सामग्री या वस्तु से जो उस स्थान पर या उस भवन में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिये अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी अथवा नगर स्वास्थय अधिकारी के आदेश से बनी हो या रखी हो किसी भी प्रकार की छेड़ छाड़ नही करेगा न उसे बिगाड़ेगा न नष्ट करेगा और न बेकार करेगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तब उस संरचना को पुनः बनाने या उस सामग्री के स्थान पर नई सामग्री रखने में होने वाले व्यय की वसूली उस व्यक्ति से सम्पत्ति कर की बकाया की तरह वसूल की जायेगी।

9–मच्छरों के पात्र या बर्तन–घर, भवन, शेड (सायबान) या जमीन का मालिक या किरायेदार वहां पर कोई बोतल, बर्तन, बाल्टी, डिब्बा या अन्य कोई पात्र साबुत या टूटा हुआ इस तरह से नहीं रखेगा कि उसमें पानी जमा होने की सम्भावना हो या पानी भरा रहे और न ऐसे किसी पदार्थ का संग्रह करेगा जिससे उसमें मच्छर पैदा हों।

10–निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण, रेलपथ बिछाने, घाट बनाने के समय जमीन में खोदे गये गड्ढे (बोर पिट) इस प्रकार होंगें कि उसमें पानी न भरा रहें। जहां पर सम्भव और व्यवहार्य हों, इन गड्ढों के किनारों को साफ रखा जाए। गड्ढों के तले में इस प्रकार ढाल और रूप दिया जाये कि नालियों से पानी एक गड्ढे से निकल कर दूसरे में चला जाऐं और आखिर मे सबसे समीप के नाले मे गिर जायें, कोई भी व्यक्ति अलग से कोई गड्ढे नहीं बनवाएगा जिसमें पानी जमा हो और मच्छर पैदा हो।

11–स्वास्थ्य कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश करने और निरीक्षण करने का अधिकार–इस उपविधि के प्रर्वतन हेतु अध्यक्ष, अधिशासी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी या अन्य अधिकारी या स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा नगरपंचायत भवन बहादुर नगर द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी उचित समय पर लिखित नोटिस या सूचना देने के बाद विवेक सम्मत समय पर अपने क्षेत्राधिकार की किसी जमीन या भवन (चाहें किसी व्यक्ति की निजि ही क्यों ना हो) में प्रवेश कर सकेगा और इस हेतु भवन का यथास्थिति मालिक या किरायेदार इस प्रवेश और निरीक्षण में अपना पूरा सहयोग देगा और वह सभी जानकारी देगा जिसकी मलेरिया/डेंगू नियंत्रण कार्य में जरूरत है।

12–कूड़ा निर्धारित स्थानों/कूड़ेदान पर ही डालना–कोई भी व्यक्ति जो कि नगरपंचायत के क्षेत्र मे निवास करता है अथवा कारोबार करता है अथवा किसी कार्य के लिये आता जाता है अपने भवन (आवासीय व व्यवसायिक) अथवा अन्य प्रत्येक प्रकार का कूड़ा नगरपंचायत के द्वार निर्धारित स्थल/कूड़ेदान पर ही इस प्रकार डालेगा जिससे वह कूड़ा स्थल/कूड़ेदान के बाहर ना फैले और यदि नगरपंचायत के द्वारा कूड़ा डालने के लिये घर घर (डोर-टू-डोर) कूड़ा उठाने का निर्णय लिया जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति को नगरपंचायत के द्वारा बनाये गये नियम व समय के अनुसार ही अपना कूड़ा नगरपंचायत के द्वारा निर्धारित वाहन में डालना होगा इसके अतिरिक्त उसको किसी अन्य स्थान पर कूड़ा डालने को कोई अधिकार नहीं होगा।

13–गोबर अथवा गोबर के कण्डों को सार्वजनिक स्थल/मार्ग पर डालने/पाथने पर प्रतिबन्ध–कोई भी व्यक्ति जो कि पशु पालता है गोबर को किसी भी सार्वजनिक स्थल/मार्ग अथवा सड़क के किनारे फुटपाथ आदि की भूमि पर नही डालेगा और ना ही गोबर के कण्डे ही सार्वजनिक स्थल/मार्ग आदि पर पाथेगा यदि किसी सार्वजनिक स्थल/मार्ग अथवा सड़क के किनारे, फुटपाथ आदि पर किसी व्यक्ति के द्वारा गोबर डाला जाता है अथवा गोबर के कण्डे पाथे जाते है तब अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा नगरपंचायत द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार डाले गये गोबर/कण्डों को अपने साधनों के माध्यम से उठवा लें और उसका निस्तारण कर दें तथा इसमें होने वाले व्यय को गोबर/कण्डें के स्वामी से वसूल करने का अधिकार सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को होगा।

14–उपविधि 13 के अर्न्तगत यदि अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी या स्वास्थ्य निरीक्षक अथवा नगर पंचायत द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी के द्वारा गोबर अथवा कण्डें जब्त किये जाते है तब उनका निस्तारण करते समय उनको यह अधिकार होगा कि वह उन गोबर/कण्डों को विक्रय कर दें तथा उससे प्राप्त धनराशि को नगरपंचायत के द्वारा किये गये व्यय में समायोजित कर लें तथा उसके पश्चात् यदि कोई धनराशि शेष बचती है तब उसे गोबर/कण्डें के स्वामी को वापिस दे दी जायेगी।

15–नगरपंचायत के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति (चाहें वह नगर पंचायत का कर्मचारी ही क्यो न हो) किसी भी प्रकार के कूड़े अथवा अन्य प्रकार की वेस्ट सामग्री, खेत में खड़े झुण्डों आदि ऐसे किसी भी पदार्थ को नहीं जलायेगा जिससे वायु प्रदूषण उत्पन्न होता हो।

स्पष्टीकरण–उपरोक्त में होली के त्योहार में होली जलाने अथवा अन्य किसी त्योहार अथवा धर्मिक, सांस्कृतिक आयोजन होने की स्थिति में लकड़ी, कोई अन्य सामग्री, पटाखे आदि जलाये जाने अथवा शवदाह करने के लिये लकड़ी जलाना आदि इस उपनियम के अर्न्तगत् नहीं आता है।

16–शास्ति–यदि कोई व्यक्ति उपनियम के किन्हीं उपबन्धों अथवा इन उपनियमों द्वारा उन पर आरोपित किन्हीं अपेक्षाओं अथवा आभारों का उल्लघंन करता है या किसी व्यक्ति के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है तो उसके विरुद्ध नगरपंचायत भवन बहादुर नगर के द्वारा कार्यवाही की जायेगी और दोष सिद्ध होने पर उसे अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 299 के अनुसार अंकन रु0 1,000.00 तक हो सकेगा तथा लगातार अपराध सिद्ध होने की दशा में उसे अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा जो कि प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से प्रत्येक दिनांक से प्रत्येक ऐसे दिनों के लिये अंकन रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) तक हो सकता है।

17–यह कि उक्त उपविधियों में आवश्यक संशोधन नगरपंचायत के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा किया जा सकेगा।

18–उपरोक्त उपविधियों में वर्णित नियमों के विपरीत कोई नियम/निर्देश शासन के द्वारा शासनादेश के माध्यम से जारी किया जाता है तब उक्त उपविधियों के प्रभाव में रहते हुये भी शासनादेश उपविधियों पर प्रभावी होगा और उक्त शासनादेश के विपरीत उपविधि होने की स्थिति में शासनादेश में दिये गये नियमों/निर्देशों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत भवन बहादुर नगर,
जनपद-बुलन्दशहर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम शैल सिंह है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख एवं आधार संख्या–496299693813 में अंकित है। पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण ज्योतिषी परामर्श के अनुसार मैंने अपनी पुत्री का नाम शैल सिंह से बदलकर पृषा सिंह रख दिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को पृषा सिंह पुत्री संदीप कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये। संदीप कुमार सिंह वर्तमान पता–फ्लैट संख्या– 1051, ब्लाक ए, लायन इन्क्लेव नेवादा, सुन्दरपुर, जिला वाराणसी।

संदीप कुमार सिंह।

सूचना

मेरे पुत्र नवजीत कटिया के कक्षा–10 के अंक-पत्र सहप्रमाण-पत्र में जिसका रोल नम्बर–23185661 है, में मेरे पति का नाम अजय सिंह कटियार अंकित है। जोकि त्रुटिपूर्ण है। मेरे पति का सही एवं वास्तविक नाम अजय सिंह है जो मेरे पति के अभिलेखों में आधार कार्ड, पैन कार्ड में भी दर्ज है।

जयन्ती देवी, पत्नी अजय सिंह,
1260 महाराणा प्रताप नगर,
पिछोर, झाँसी।

NOTICE

I, Jai Shankar Singh Ex. CPO (Navy) No. 097165F in my service record, Pension book &

EPPO, my wife name Pushpa Lata is worng. My wife correct name is Pushp Lata Singh. In future she is known as Pushp Lata Singh for all purpose. C-33/84-7B, Chhittupur, Sigra, Varanasi.

Jai Shankar Singh.

NOTICE

My Name is Chhatra Dhari Singh Ex. CPO No. 097579Y. In my Pension book and PPO, my name is written as Chhatara Dhari Singh is wrong. My right name is to be written as Chhatra Dhari Singh in Pension Book and PPO. SH17/262-35 Paramhans Nagar Colony, Shivpur, Varanasi-221003.

Deponent,
Chhatra Dhari Singh.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम भगवान प्रसाद है जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण-पत्र में मेरे पिता का नाम बी0पी0 श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है।

यश कुमार,
सी-209, सी ब्लाक,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।
पिन–226016

सूचना

मेरे पुत्र आरूष रावत का नाम आधार कार्ड में उत्सव रावत हो गया है जो गलत है। मेरे पुत्र का शुद्ध व सही नाम आरूष रावत है। उत्तम चन्द्र पुत्र स्व0 प्यारे लाल, 80/74, चिल्ला गोविन्दपुर, थाना शिवकुटी, प्रयागराज।

उत्तम चन्द्र।

सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम हीरेन्द्र मोहन श्रीवास्तव (HEERENDRA MOHAN SRIVASTAV) है जो मेरे हाईस्कूल के सह अंक प्रमाण-पत्र (अनुक्रमांक–5162207) में अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण-पत्र में हीरेन्द्र श्रीवास्तव (HEERENDRA SRIVASTAV) (अनुक्रमांक–23702207) अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे पिता के ही हैं। भविष्य में मेरे पिता को उनके सही नाम हीरेनद्र मोहन श्रीवास्तव (HEERENDRA MOHAN SRIVASTAV) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

रिया श्रीवास्तव,
मोहनलाल पुर, मगहर,
संत कबीर नगर–272173

सूचना

मैं तेजपाल सिंह तोमर पुत्र स्व0 श्रीपाल सिंह, निवासी राज सदन, विजय नगर सेक्टर ए0 मलाक रोड नीलमथा, लखनऊ, उ0प्र0–226002, सूचित करता हूँ कि मेरे पी0पी0ओ0 आर्मी पेंशन में त्रुटिवश मेरा नाम तेजपाल सिंह दर्ज हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक नाम तेज पाल सिंह तोमर है जोकि सत्य व सही है। जो अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है।

तेजपाल सिंह तोमर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S SKY BUILDERS, A-1, SAI DHAM APARTMENT, 113/11A SWAROOP NAGAR, KANPUR के संविधान दिनांक 15.5.2013 में दिनांक 03.11.2022 को फर्म की नयी पार्टनर Smt. Jaya Sharma फर्म की साझीदारी में शामिल हो गयी है तथा इसी दिन VIKAS SHARMA फर्म की साझीदारी से स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गये हैं।

वर्तमान 1. Shri Amrish Singh Sengar and Smt. Jaya Sharma फर्म की साझीदार हैं।

अमरीश सिंह,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S VIRAT INFRATECH, 16 VASANT KUNJ 4/272-A, PARWATI BAGLA ROAD, NEAR RANI GHAT CHAURAHA, KANPUR के संविधान दिनांक 20.5.2022 में दिनांक 03.11.2022 को फर्म की नया पार्टनर Miss Ina

Sharma फर्म की साझीदारी में शामिल हो गयी है तथा इसी दिन VIKAS SHARMA फर्म की साझीदारी से स्वेच्छा से रिटायर्ड हो गये हैं।

वर्तमान 1. Shri Jaya Sharma and Miss Ina Sharma फर्म की साझीदार हैं।

श्रीमती जया शर्मा,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स लखनऊ डायबिटीज़ हेल्थ केयर, सर्वोदय नगर, लखनऊ, उ0प्र0 रजि0 नं0 203690 का पंजीकरण दिनांक 07 नवम्बर, 2017 में हुआ था एवं दिनांक 08 मार्च, 2022 को फर्म के विधान में संशोधन पंजीकृत कराया गया था, जिसमें डा0 अफरोज खान प्रथम, डा0 आसिफ अली द्वितीय, तथा डा0 आमिर अफरोज तृतीय साझेदार थे, जिसका संशोधन कराया जा चुका है।

दिनांक 26 नवम्बर, 2022 को उपरोक्त द्वितीय साझेदार डा0 आसिफ अली फर्म की साझेदारी से हट गये। उक्त तिथि से पूर्व साझेदार डा0 आसिफ अली का भविष्य में उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं होगा। वर्तमान में उक्त फर्म में डॉ0 अफरोज खान प्रथम एवं डॉ0 आमिर अफरोज द्वितीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

डा0 अफरोज खान,
साझीदार,
मेसर्स लखनऊ डायबिटीज हेल्थ केयर,
सर्वोदय नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गोल्डन आई इन्फ्राटेक्चर, पता-5 गुल मोहर पार्क, राजेन्द्र नगर, बरेली, उ0प्र0 रजि0 सं0 BAR/0012034 उपरोक्त फर्म में तीन साझीदार दिनांक 10.3.2022 से अंकित अग्रवाल पुत्र श्री नरेश चंद्र अग्रवाल निवासी– सेन्ट फ्रॉसिस स्कूल स्टेडियम रोड, बरेली उ0प्र0 243001 व हरीश कुमार पुत्र पातीराम निवासी–68–अ, अशुतोष सिटी पालीभीत बाई पास रोड, बरेली उ0प्र0 243001 व सुनील यादव पुत्र श्री सोवरन सिंह यादव निवासी–रसूलपुर पुठी सराय बदायूँ उ0प्र0 243634 थे। उक्त फर्म से दिनांक 22.12.2022 को साझीदार श्री हरीश कुमार व सुनील यादव स्वेच्छा से उक्त फर्म से रिटायर/सेवानिवृत हो गये व फर्म का विघटन हो गया। उसके पश्चात् उपरोक्त फर्म में दिनांक 22.12.2022 से श्रीमती मंजू वैश्य पत्नी श्री मनोज कुमार वैश्य निवासी 08, डेलापीर कैलाश पुरम, बरेली, उ0प्र0 को एक नई साझीदार के रूप में शामिल किया गया। उपरोक्त फर्म दिनांक 22.12.2022 से साझीदार अंकित अग्रवाल व मंजू वैश्य के द्वारा संचालित की जा रही है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझीदार के विघटन से सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं हमारे द्वारा पूर्ण कर ली गयी।

अंकित अग्रवाल,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गंगाजली प्रोजक्ट मैनेजमेन्ट सर्विसेज, म0नं0 522, सेक्टर–12, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016, रजि0 नं0 LUC/0007712 का पंजीकरण दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 को कराया गया था, जिसमें श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री राम नगीना सिंह निवासी–636/64, शिव नगरी, शिव सरिया लेन, नियर हरी मण्डल, तकरोही बाजार, लखनऊ–226028 प्रथम व श्री राहुल श्रीवास्तव पुत्र श्री राजेन्द्र नरायन श्रीवास्तव निवासी–बी–1/283, कानपुर रोड, सेक्टर–एच, एलडीए कालोनी, लखनऊ 226012 द्वितीय साझेदार थे। दिनांक 11 जनवरी, 2022 को पार्टनरशिप डीड में प्रथम साझेदार श्री संजय कुमार सिंह के पते तथा फर्म के पते में परिवर्तन किया गया है।

दिनांक 11 जनवरी, 2022 से श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री राम नगीना सिंह निवासी–636/64, शिव नगरी, शिव सरिया लेन, नियर हरी मण्डल, तकरोही बाजार, लखनऊ 226028 के स्थान पर उनका पता-13/540, सेक्टर–13, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016 हो गया है तथा फर्म का पता– म0नं0 522, सेक्टर–12, इन्दिरा नगर लखनऊ 226016 के स्थान पर 13/540, सेक्टर-13, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016 हो गया है।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

संजय कुमार सिंह,
साझीदार,
मेसर्स गंगाजली प्रोजक्ट मैनेजमेन्ट सर्विसेज,
13/540, सेक्टर-13, इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

सूचना

सूचित करती हूँ कि मेरा नाम मेरी पुत्री रोहमा फातिमा के शैक्षिक रिकार्ड (हाईस्कूल परीक्षा–2021) में मेरा नाम गलती से शाईस्ता जमाल अंकित है, जो कि गलत है। मेरा सही नाम शाईस्ता फारूकी है, जो कि मेरी पुत्री के शैक्षिक रिकार्ड में दर्ज किया जाये। शाईस्ता फारूकी एवं शाईस्ता जमाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। शाईस्ता फारूकी पत्नी रफत जमाल अरशी, बमरौली, बांकराबाद, प्रयागराज।

शाईस्ता फारूकी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम शौर्य यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों/आधार कार्ड आदि में अंकित है। मेरा पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार मैंने अपने पुत्र का नाम शौर्य यादव से बदल कर सम्राट यादव रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को सम्राट यादव पुत्र शर्मनानन्द यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

शर्मनानन्द यादव
पुत्र श्री धर्मवीर सिंह यादव,
निवासी–एच0 21 देव बिहार कालोनी,
सिविल लाइन्स, जनपद–मुरादाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम जमुना मर्तोलिया है जो उनके शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड तथा मेरे इण्टरमीडिएट के सह अंक प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के सह अंक प्रमाण-पत्र में ज्योति मर्तोलिया अंकित हो गया है। भविष्य में मेरी माता को उनके सही नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

सलोनी मर्तोलिया
पुत्री दिनेश सिंह मर्तोलिया,
निवासिनी–आर–7, मेडिकल कालेज कैम्पस,
कानपुर नगर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 आर0 पी0 एसोसियेट्स, 21/126, धुलियागंज, आगरा में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है :–

यह है कि उक्त फर्म के पूर्व भागीदार श्री अचल सिंह पुत्र श्री रामसनेही, श्रीमती ऊषा पत्नी श्री वीरन्द्र कुमार, श्री रामवीर पुत्र श्री सुजान सिंह एवं श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं तथा फर्म में श्रीमती सीमा गुप्ता पुत्र श्री अजय कुमार गुप्ता, श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी श्री अनिल गुप्ता, श्रीमती सरला देवी पत्नी स्व0 अशोक कुमार, श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र, श्री गेंदा लाल, श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह तथा श्री सत्यपाल पुत्र श्री विजन सिंह दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से श्री अर्जुन सिंह पुत्र, श्री ज्वाला सिंह एवं श्री सत्यपाल पुत्र श्री विजन सिंह भी उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं एवं दिनांक 18 जनवरी, 2023 से पूर्व भागीदार श्रीमती सीमा गुप्ता पत्नी श्री अजय कुमार गप्ता उक्त फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गयी है और श्रीमती हरिप्यारी देवी पत्नी स्व0 राम प्रकाश दिनांक 18 जनवरी, 2023 से नयी भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी हैं। अब वर्तमान में दिनांक 18 जनवरी, 2023 से श्रीमती नीरू यादव, श्री विनोद कुमार, श्रीमती उमा गुप्ता, श्रीमती सरला देवी, श्री सतेन्द्र सिंह एवं श्रीमती हरिप्यारी देवी ही भागीदार रह गये हैं।

श्रीमती नीरू यादव,
साझीदार,
मे0 आर0पी0 एसोसियेट्स,
21/126, धुलियागंज, आगरा।

पी0एस0यू0पी0–49 हिन्दी गजट–भाग 8–2023 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।